

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 यह अध्याय मई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान मंत्रालय को भेजे गए महत्वपूर्ण एवं उच्च मूल्य निगम कर के 320 मामलों पर चर्चा करता है। इसमें 297 मामलों में से ₹ 3,122.20 करोड़ के कम प्रभार के मामले और ₹ 176.73 करोड़के अधिक प्रभार³⁰ वाले 23 मामलों निहित है। गलत निर्धारण के यह मामलें आयकर विभाग द्वारा किए गए निर्धारण प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों में कमियों की ओर इशारा करते हैं।

3.1.2 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारण से बचन वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

तालिका 2.6 (पैरा 2.3.4) गलतियों की व्यापक श्रेणियों तथा उनके कर प्रभार के विवरण दर्शाती है।

3.1.3 मंत्रालय ने ₹ 1,345.80 करोड़ के कर प्रभाव वाले 184 मामलों में अपनी स्वीकार्यता बता दी है। मंत्रालय ने ₹ 167.24 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों को स्वीकार नहीं किया है। शेष 125 मामलों में, विभाग आईटीडी ने ₹ 251.02 करोड़ के कर प्रभाव वाले 23 मामलों को स्वीकार किया है जबकि ₹ 488.50 करोड़ के कर प्रभाव वाले 23 मामलों को स्वीकार नहीं किया गया है। 320 मामलों में से, आईटीडी ने एक मामले में ₹ 3.99 करोड़ की वसूली प्रभावित की, ₹ 2,426.96 करोड़ के कर प्रभाव वाले 252 मामलों में उपचारात्मक कार्यवाही की और ₹ 191.95 करोड़ के कर प्रभाव वाले 25 मामलों में उपचारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की

30 अधिक प्रभार सही आंकड़ों को अपनाने में गलतियों, आय की गणना में अंकगणितीय गलतियों, कर/ब्याज की दरों का गलत अनुप्रयोग इत्यादि के कारण है।

आवश्यकता है। तालिका 3.1 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों की उप-श्रेणिया (₹ करोड़ में)			
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	45	922.95	आंध्र प्रदेश (एपी), बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश (एमपी), महाराष्ट्र, ओडिसा, तमिलनाडू (एनटी), और पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबी).
ख. कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग	5	15.73	गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (यूपी)
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ	39	163.84	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
घ. अधिक्या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	6	49.46	आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और महाराष्ट्र
ड. अपीलीय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में गलतियाँ	10	290.96	दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
कुल	105	1,442.94	

3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम एस सात निदर्शी मामलें नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

3.2.2.1 महाराष्ट्र में, प्र. सीआईटी-6 मुम्बई प्रभार नि.अ. ने ₹ 4,208.31 करोड़ पर आय निर्धारणित करते हुए मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 144 सी के साथ देखी गई धारा 144 के तहत नि.व 2011-12 के लिए मेसर्स एस्सर कैपिटल लि. के निर्धारण को पूर्ण किया। करारोप्य आय की गणना के दौरान नि.अ. ने “ऋण पत्र पर छूट प्रभारों” के कारण ₹ 379.57 करोड़ की राशि को जोड़ा नहीं, यद्यपि दावा को निर्धारण के दौरान अस्वीकार किया गया। उक्त को सितम्बर 2015 में धारा 154 के तहत परिशोधन आदेश पारित करने के

दौरान वापस जोड़ा नहीं गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 126.09 करोड़ के कर की कम उगाही सहित ₹ 379.57 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154³¹ के तहत त्रुटि (मई 2016) को परिशोधित किया।*

3.2.2.2 तमिलनाडू में, सीआईटी-1 चेन्नै प्रभार, नि.अ. ₹ 4199.24 करोड़ पर आय निर्धारण के साथ मार्च 2015 में नि.व 2012-13 के लिए **मेसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लि.** के निर्धारण की संवीक्षा को पूर्ण किया। जबकि करारोप्य आय की गणना के दौरान नि.अ. ने “तमिलनाडू सरकार को निर्धारिती द्वारा प्रदत्त/भुगतये विक्रय शुल्क” के कारण ₹ 307.53 करोड़ की राशि को जोड़ा नहीं था, यद्यपि संविदा निर्धारण के दौरान दावे को अस्वीकार किया गया। इस चूक के कारण ₹ 99.78 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 307.53 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मई 2015) किया।*

3.2.2.3 सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, नि अ ₹ 2706.47 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2015 में नि.व 2011-12 के लिए मै. पारादीप फास्फेट लि. का संवीदा निर्धारण पूरा किया। करयोग्य आय का आंकलन करते समय, नि.अ.ने ₹ 240.77 करोड़ की उचित राशि के स्थान पर ₹ 24.08 करोड़ की रिटर्न आय गलती से स्वीकृत की और 7.5 प्रतिशत के अनुमत दर के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर पर उप प्रभार का उद्ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, ₹ 2,944.83 करोड़ के स्थान पर ₹ 2706.47 करोड़³² की निर्धारित आय का गलत आंकलन किया गया। चूकों के कारण ₹ 86.24 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 238.36 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (जनवरी 2016) किया।*

3.2.2.4 सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 83.39 करोड़ की कुल हानि; जिसे बाद में मार्च 2015 में ₹ 89.43 करोड़ के रूप में संशोधित किया गया का निर्धारण दिसंबर 2011 में निव 2009-10 के लिए **मै. 9एक्स मीडिया प्राइवेट लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। संशोधित निर्धारण में कर योग्य आय का आंकलन करते हुए, नि.अ. ने संवीक्षा निर्धारण के बाद आंकी गई ₹ 83.39 करोड़ की हानि का उचित राशि के स्थान पर आय की रिटर्न के

31 निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश में अभिलेखों से स्पष्ट पता चलती गलतियों को आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत संशोधित किया जा सकता है।

32 ₹ 2701.99 करोड़ और ₹ 2.06 करोड़के गैर अनुमति सहित 2706.47 करोड़ की आय

अनुसार ₹ 266.34 करोड़ की हानि पर प्रारंभिक आंकड़े गलती से स्वीकृत किये। इस गलती के कारण ₹ 62.18 करोड़ के कम संभावित कर उद्ग्रहण सहित ₹ 182.94 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (अप्रैल 2016) किया।*

3.2.2.5 प्र. सीआईटी-2, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निअ. ने ₹ 10.04 करोड़ आय निर्धारण करते हुए मार्च 2015 में निव 2012-13 के लिए मै. एपोक्सी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लि. के संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निअ ने धारा 68 के अंतर्गत अस्पष्ट निवेश के रूप में ₹ 99.86 करोड़ के शेयर प्रीमियम की वास्तविक राशि के स्थान पर ₹ 9.99 करोड़ राशि को वापस जोड़ा। चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 39.66 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 89.87 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मई 2015) किया।*

3.2.2.6 सीआईटी (केन्द्रीय)-1 दिल्ली प्रभार, दिल्ली में, निअ. ने ₹ 4920.93 करोड़ आय और उस पर ₹ 1634.61 करोड़ के कर का निर्धारण करते हुए नवम्बर 2014 में निव 2011-12 के लिए मै. सहारा इंडिया कमर्शियल कार्पोरेशन लि. ने संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निअ ने ₹ 5355.54 करोड़ की उचित राशि के स्थान पर ₹ 5312.72 करोड़ के रूप में सभी गैर-अनुमतियों की कुल राशि के रूप में स्वीकार किया। चूक के कारण ₹ 20.48 करोड़ के कम प्रभाव सहित ₹ 42.82 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (दिसम्बर 2015) किया।*

3.2.2.7 प्र. सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निअ. ने ₹ 61.02 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में निव 2012-13 के लिए मै. ईस्ट हैदराबाद एक्सप्रेस वे लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निअ. ने निर्धारण आदेश के अनुसार विभिन्न गैर-अनुमतियों को ध्यान में रखने के बाद ₹ 19.92 करोड़ के उचित राशि के स्थान पर ₹ 61.02 करोड़ के रूप में हानि का गलत आंकलन किया। इस चूक के कारण ₹ 13.33 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 41.10 करोड़ हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (फरवरी 2015) किया।*

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरें लागू करना

ऐसे तीन निदर्शी मामले हम नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) दर्शाती है कि निअ. को उचित ढंग से आय का निर्धारण और आकलन करना चाहिए। लेखों के साथ विभिन्न प्रकार के दावे, रिकॉर्ड और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के संवीक्षा निर्धारणों की सिस्तृत जांच की जानी आवश्यक है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय-समय पर कई निर्देश जारी किये हैं।

3.2.3.1 प्र. सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निअ ने ₹ 53.86 करोड़ के लघु अवधि पूंजीगत लाभ के सहित ₹ 592.69 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2011 में निव 2009-10 के लिए **मै. एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर देयता का आंकलन करते समय, निअ ने नकद निधि, धन बाजार निध, नकद प्रबंधन निधि आदि जिस पर 30 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की दर पर सुरक्षा लेन-देन कर पर छूट देय नहीं थी, के संबंध में लघु अवधि पूंजीगत लाभ पर ₹ 9.15 करोड़ का कर का गलत आंकलन किया। चूक के कारण ₹ 9.15 करोड़ का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।*

3.2.3.2 प्र. सीआईटी-5, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निअ ने ₹ 140.03 करोड़ आय का निर्धारण करते समय मार्च 2015 में निव. 2008-09 के लिए **मै. कल सरिया डायमंडस प्रा. लि.** का निर्धारण पूरा किया। कर देयता का आंकलन करते समय, निअ ने 10 प्रतिशत अधिभार की उचित दर के स्थान पर एक प्रतिशत का गलत अधिभार उद्ग्रहित किया। गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मई 2015) किया।*

3.2.3.3 प्र. सीआईटी-2 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में निअ ने अधिनियम के अंतर्गत ₹ 69.55 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) और विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 69.70 करोड़ के बुक लाभ ₹ 69.57 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2014 में निव 2012-13 के लिए **मै. ज्ञानेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। आईटीएनएस-150 में कर देयता की गुणना करते समय, निअ ने ₹ 1.60 लाख आय पर 30 प्रतिशत के सामान्य दर और के स्थान पर ₹ 69.70 करोड़ के बुक लाभ पर 18.5 प्रतिशत की दर पर और ₹ 69.55 करोड़ के एलटीसीजी पर 20 प्रतिशत कर प्रभारित किया। चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 1.24 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (सितम्बर 2015) किया।*

3.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटि

हम नीचे ऐसे पांच निदर्शी मामले दे रहे हैं:

अधिनियम समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारितियों की ओर से विभिन्न चूकों के लिए ब्याज उद्ग्रहण दर्शाता है। धारा 234ए विनिर्दिष्ट दरों के लिए और विनिर्दिष्ट समय अवधि पर आय की रिटर्न प्रस्तुत चक के कारण ब्याज का उद्ग्रहण दर्शाता है। धारा 234बी विनिर्दिष्ट दरों के लिए और विनिर्दिष्ट समय अवधि पर अग्रिम कर के भूगतान में चूक के कारण ब्याज का उद्ग्रहण दर्शाता है।

3.2.4.1 प्र. सीआईटी-नोयडा प्रभार, उत्तर प्रदेश में, निअ ने फरवरी 2015 में निव 2010-11 से 2012-13 के लिए **मै. न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट अथरिटी** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर देयता का आंकलन करते समय, निअ ने तीन वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 39.14 करोड़, ₹ 40.64 करोड़ और ₹ 8.12 करोड़ की उचित राशि के स्थान पर आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक हेतु धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 31.61 करोड़, ₹ 30.11 करोड़ और ₹ 5.22 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, निअ ने इन निव के लिए क्रमशः ₹ 44.41 करोड़, ₹ 47.75 करोड़ और ₹ 10.16 करोड़ की उचित राशिके स्थाप पर अग्रिम कर के भूगतान में चूक हेतु धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 35.38 करोड़, ₹ 35.13 करोड़ और ₹ 6.67 करोड़ ब्याज का उद्ग्रहण किया। चूक के कारण समुच्चयित ₹ 49.09 करोड़ (धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 20.96 करोड़³³ और धारा 234 बी के अंतर्गत ₹ 25.14 करोड़³⁴) का ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (नवम्बर 2015) किया।*

3.2.4.2 प्र. सीआईटी-2, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निअ ने ₹ 16.44.79 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2011 में निव 2009-10 के लिए **मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। इसके पश्चात अप्रैल 2013 में पास किये गये आदेश के अनुसार सीआईटी (अपील) द्वारा दी गई राहत के बाद ₹ 1574.71 करोड़ की आय संशोधित करते हुए मार्च 2014 में आय कर अधिनियम की धारा 250 के साथ पठित धारा 147³⁵ के साथ पठित धारा 143(3)³⁶ के अंतर्गत मामले का पुनर्निर्धारण किया गया। रिटर्न के साथ संलग्न आय के अनुसार, निर्धारिती ने ₹ 35.65 करोड़ के

33 ₹ 20.96 करोड़ = (₹ 39.14 करोड़ + ₹ 40.64 करोड़ + ₹ 8.12 करोड़) - (₹ 31.61 करोड़ + ₹ 30.11 करोड़ + ₹ 5.22 करोड़)

34 ₹ 25.14 करोड़ = (₹ 44.41 करोड़ + ₹ 47.75 करोड़ + ₹ 10.16 करोड़) - (₹ 35.38 करोड़ + ₹ 35.13 करोड़ + ₹ 6.67 करोड़)

35 निअ. द्वारा पूरे किये गये संवीक्षा निर्धारण संदर्भित धारा 143(3)

36 आयकर अधिनियम की धारा 147 का प्रावधान किसी निर्धारण अधिकारी को निर्धारण को पुनः खोलने के लिए सशक्त करता है यदि वह इस बात के लिए अश्वस्त है कि आय की निर्धारण नहीं हुआ है।

टीडीएस और का दावा किया तथा देय कर के प्रति क्रमशः 29.05.2009 और 25.09.2009 को ₹ 460.43 करोड़ और ₹ 49.03 करोड़का स्वयं निर्धारण कर अदा किया। आईटीएनएस 150ए की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि विभाग ने अग्रिम कर के रूप में निर्धारिती द्वारा अदा किये गये दर्शाये गये स्वयं निर्धारित कर समुच्चयित ₹ 509.47 करोड़ को गलत माना। चूक के कारण धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 20.20 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण और धारा 244ए(1)(बी) के अंतर्गत ₹ 2.63 करोड़ ब्याज की वापसी हुई। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (सितम्बर 2014) किया।*

3.2.4.3 सीआईटी, (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) 2 प्रभार, दिल्ली में, निअ ने ₹ 5,149.35 करोड़ आय और उस पर ₹ 689.83 करोड़ कर का निर्धारण करते हुए जनवरी 2015 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144सी के अंतर्गत निव 2010-11 के लिए **मै. नोकिया कार्पोरेशन** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 30 सितम्बर 2010 (15 अक्टूबर 2010 तक बढ़ाई गई) की फाइलिंग की तय तिथि के प्रति 18 अगस्त 2011 पर कार्पोरेशनकर रिटर्न फाईल की। कर मांग का अंगलन करते समय, आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में विलंब के लिए ब्याज 11 महीनों के प्रति केवल 10 महीनों के लिए उद्ग्रहित किया गया था। चूक के कारण ₹ 6.9 करोड़ का कम उद्ग्रहण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (फरवरी 2015) किया।*

3.2.4.4 सीआईटी-1 चेन्नै प्रभार, तमिलनाडू में, निअ ने ₹ 175.72 करोड़ आय और ब्याज को छोड़कर ₹ 57.01 करोड़ सकल कर का निर्धारण करते समय मार्च 2015 में निव 2012-13 के लिए **मै. चोलामंडलम इवेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि.** के लिये निर्धारण पूरा किया। कर अधिवार निर्धारित करते समय निर्धारिती द्वारा स्रोत पर छूट प्राप्त कर समायोजित और अग्रिम कर अदा करने के बाद ब्याज छोड़कर निवल देय कर ₹ 17.37 करोड़ आंका गया। यद्यपि, अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक 234बी (1) के अंतर्गत 36 महीने का ₹ 6.25 करोड़ ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मई 2015) किया।*

3.2.4.5 सीआईटी (केन्द्रीय) भोपाल प्रभार, मध्य प्रदेश में, निव 2009-10 से 2012-13 तक के लिए **मै. अजीतनाथ रियलटी प्रा. लि.** इंदौर का निर्धारण क्रमशः ₹ 42.97 करोड़, ₹ 89.10 करोड़, ₹ 15.70 करोड़ और ₹ 13.47 करोड़

की आय पर मार्च 2015 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत पूरा किया गया। निर्धारिती ने इन सभी निव के लिए 30 जून 2013 तक आय की रिटर्न फाईल करने के लिए धारा 153ए के अंतर्गत जारी किये गये नोटिस की प्रतिक्रिया में निव 2009-10 से 2012-13 के लिए 27 मार्च 2014 तक आय की अपनी रिटर्न फाईल की। कर देयता का आंकलन करते समय, धारा 234ए(3) के अंतर्गत आय की रिटर्न विलंबित फाइलिंग के लिए कोई उद्ग्रहण नहीं किया गया था जबकि रिटर्न प्रस्तुत करने में 9 महीनों³⁷ का विलंब था। चूक के कारण ₹ 4.78 करोड़ ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (जनवरी 2015) किया।*

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिगम/प्रतिगमों पर ब्याज:

हम नीचे दो ऐसे उदाहरण दर्शक देखे हैं:

धारा 143(3) दर्शाती है कि नि.अ.ज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार को जुड़ाव के बाद कुल आय के सही निर्धारण और कटौतियों को अनुमत करना होगा। और जैसी की दशा हो, एकदम सही भुगतये या वापसी योग्य राशि निर्धारित करनी होगी।

3.2.5.1 केरल में सीआईटी-थ्रिशूर प्रभार, नि.अ. ने दिसम्बर 2005 में संवीक्षा के बाद नि. व 2004-15 के लिए **मै. साउथ इंडियन बैंक लि.** के निर्धारण को पूर्ण किया जो कि बाद में कई बाद संशोधित किया गया। ₹ 140.15 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए मार्च 2013 में पिछला संशोधन पूर्णकिया गया था और विभिन्न चरणों पर माँगों एवं प्रतिदायों के समायोजन के बाद ₹ 39.05 करोड़ के प्रतिदाय को प्राधिकृत किया गया। ₹ 39.05 करोड़ के प्रतिदाय की गणना के दौरान, दिसम्बर 2010 में नि.व 2010-11 से संबंधित प्रतिदाय के समायोजन द्वारा ₹ 33.43 करोड़ का क्रेडिट दिया गया था। चूँकि ₹ 48.49 करोड़ का सम्पूर्ण प्रतिदाय दिसम्बर 2010 में नि.व 2010-11 के लिए निर्धारिती को देय नि.व 2003-04 और 2008-09 के लिए माँगों के प्रति समायोजित किया गया था, ₹ 33.43 करोड़ का क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 37.94 करोड़ के अधिक प्रतिदाय का निर्धारण हुआ। आईटीडी ने यह कहते हुए अवलोकन को स्वीकार नहीं किया (जून 2015) के 9 अगस्त 2011 और 11 मार्च 2013 को पारित आदेश के दौरान, क्रेडिट को एएसटी प्रणाली के अनुसार सही ढंग से किया गया था। तथापि, मार्च 2015 में धारा 143(3) के साथ धारा 254 के तहत उपचारात्मक कार्यवाही की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूँकि निव 2004-05 के लिए 9 अगस्त 2011 के

37 जुलाई 2013 से मार्च 2014

आदेश में विनिर्दिष्ट ₹ 33.43 करोड़ को नि.व 2010-11 से प्रतिदाय समायोजन किया गया जबकि 2004-05 के लिए चालान विवरण रजिस्टर के अनुसार कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। नि.व 2010-11 में, ₹ 48.49 करोड़ का एक प्रतिदाय वर्ष 2010-11 के लिए खाता विवरण के अनुसार निव 2003-04 और 2008-09 का प्रतिदाय समायोजन को प्राधिकृत किया गया था।

धारा 220(2) दर्शाती है कि धारा 156 के तहत यदि कोई भुगतये मांग का नोटिस, जैसीकि विनिर्दिष्ट राशि हो यदि सेवा के नोटिस के 30 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया, निर्धारिती को अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारिती दरो के अनुसार साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

3.2.5.2 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सीआईटी-5 हैदराबाद प्रभार में, नि.अ. ने ₹ 55.64 करोड़ की हानि के निर्धारण पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात निव. 2009-10 के लिए **मै. विओम नेटवर्कर्स लि.** के निर्धारण की पूर्ण किया। चूँकि मार्च 2011 में पहले से ही ₹ 60.21 करोड़ एक प्रतिदाय आदेश जारी हो चुका था कोई प्रतिदाय दिसंबर 2011 के निर्धारण आदेश में नहीं था। ₹ 25.23 करोड़³⁸ की सकल राशि निव 2006-07 और 2008-09 के लिए ₹ 34.98 करोड़ की बकाया माँग के समायोजन के बाद मार्च 2011 में निर्धारिती को वापस किया गया। तथापि प्रतिदाय जारी करने दौरान विव 2006-07 और 2008-09 के लिए बकाया माँग पर धारा 220 (2) के तहत करारोप्य ब्याज करारोपित नहीं किया गया। चूक के परिणाम स्वरूप निर्धारिती को ₹ 1.18 करोड़ का अधिक प्रतिदाय हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 220(2) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई (अक्टूबर 2015) की।*

3.2.6 अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करते समय निर्धारण में चूक

हमने ऐसे पांच निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

धारा 254 के अंतर्गत, एक असंतुष्ट निर्धारिती एओं के आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील) को अपील कर सकता है जो अपीलीय आदेश में दिए गए निदर्शों का पालन करेगा। तथ्यों एवं कानून के पश्नों पर आईटीएटी को अगली अपील करने की भी अनुमति दी गई है। अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी त्रुटि के परिधामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण होता है।

3.2.6.1 दिल्ली सीआईटी-2 प्रभार में नि.अ. ने ₹ 796.57 करोड़ की अग्रानीत व्यापार हानियों तथा अनावशोषित मूल्यहास के समंजन के पश्चात ₹ 838.83 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए अक्टूबर 2013 में नि.व 2010-11 के

38 ₹ 25.23 करोड़ = ₹ 60.21 करोड़ - ₹ 34.98 करोड़

लिए **मै. बीएसईएस राजधानी पावर लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया था। निर्धारित आय को जनवरी 2014 में ₹ 816.59 करोड़ पर परिशोधित किया गया था। धारा 250 के अंतर्गत अपील आदेश को कार्यान्वित करते समय (जुलाई 2014) निर्धारण को ₹ 1402.90 करोड़ की राहत की अनुमति के पश्चात ₹ 564.52 करोड़ की हानि पर पूरा किया गया था। चूंकि निर्धारित आय की गणन ₹ 796.57 करोड़ की अग्रानीत हानियों के समंजन की अनुमति के बाद की गई थी, अतः चालू वर्ष में आय को उपलब्ध आय की सीमा तक अग्रानीत हानियों के समंजन के पश्चात 'शून्य' पर निर्धारित करना अपेक्षित था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 564.52 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 191.88 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का परिशोधन कर दिया था (मई 2016)।*

3.2.6.2 उत्तर प्रदेश, सीआईटी-नोयडा प्रभार में, नि.अ. ने ₹ 654.97 करोड़ की आय 4 नवम्बर 2012 में नि.व. 2008-09 के लिए **मै. एल.जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया था। तत्पश्चात निर्धारण का परिशोधन जनवरी 2013 में ₹ 740.72 करोड़ की आय पर किया गया तथा मार्च 2015 में ₹ 704.35 करोड़ की आय पर धारा 263 के तहत पूनः निर्धारण किया गया था। नि.अ. ने मार्च 2015 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत पास किए गए अपीलीय आदेश को लागू करते समय गलती से जनवरी 2013 में धारा 154 के तहत संशोधित ₹ 740.72 करोड़ की बजाय नवम्बर 2012 में धारा 143(3)/144सी के अंतर्गत निर्धारित ₹ 654.97 करोड़ की आय को अपनाया। इस चुक के परिणामस्वरूप ₹ 85.75 करोड़³⁹ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 45.47 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 263 तथा 143 (3) के साथ पठित धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में परिशोधन किया (जून 2015)।*

3.2.6.3 दिल्ली, सीआईटी-2 प्रभार में नि.अ. ने ₹ 86.21 करोड़ की अग्रानीत हानि तथा अनावशोधित मूल्यहास के समंजन के पश्चात ₹ 687.27 करोड़ की आय को निर्धारित करते हुए अक्टूबर 2013 में नि.व. 2010-11 के लिए **मै. बीएसईएस यमूना पावर लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया था। निर्धारित आय को धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन के पश्चात ₹ 674.87 करोड़ पर संशोधित किया गया था (जनवरी 2014)।

39 ₹ 85.75 करोड़ = ₹ 740.72 करोड़ - ₹ 654.97 करोड़

धारा 250 (जुलाई 2014) के अंतर्गत अपील आदेश को लागू करते हुए, निर्धारण ₹ 740.92 करोड़ की राहत अनुमत करने के बाद ₹ 53.65 करोड़ की हानि पर पूरा किया। चूँकि निर्धारित आय अग्रणीत ₹ 86.21 करोड़ की हानियां संमंजित करना अनुमत करने के बाद आंकलित की गई, मौजूदा वर्ष की आय उपलब्ध आय की सीमा की अग्रणीत हानियों के समंजन अनुमत करने के बाद 'निरंक' पर निर्धारित की जानी आवश्यक है। इस गलती के कारण ₹ 18.24 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 53.65 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती (मई 2016) में सुधार किया।*

3.2.6.4 प्र.सी.आई.टी (केन्द्रीय)-3 मुंबई, प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ ने ₹ 160.84 करोड़ आय निर्धारण करते हुए मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 हेतु **मैं. गैनन इंकरले एंड क.लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। मार्च 2015 में सीआईटी (अपील) आदेश को लागू करते हुए ₹ 149.18 करोड़ की आय संशोधित की। कर देयता की गणना करते समय, कर मांग के 10 प्रतिशत की दर पर अधिभार उदग्राही नहीं किया गया था। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती (जनवरी 2016) में सुधार किया।*

3.2.6.5 प्र.सी.आई.टी-2, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में नि.अ ने ₹ 5.26 करोड़ की अग्रणीत हानियों के समंजन के बाद ₹ 5.15 करोड़ की आय निर्धारण में मार्च 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **मैं. गिंजा इंडस्ट्रीज लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2010-11 हेतु अपील आदेश को लागू करने के निर्धारण आदेश के अनुसार, समंजन के लिए केवल ₹ 77.32 लाख की व्यापार हानि उपलब्ध थी। इस गलती के कारण ₹ 1.49 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 4.48 करोड़ की हानि का अधिक समंजन हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती (अगस्त 2014) में सुधार किया।*

3.3 कर रियायतों/छूट/कटौतियाँ का प्रशासन

3.3.1 अध्याय VI-क के अंतर्गत कुल आय आंकलन में और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की विशिष्ट श्रेणियों के लिए निर्धारिती को कर रियायतें/छूट/कटौतियाँ अनुमत की जाती हैं। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने लाभार्थियों जो उक्त के लिए हकदार नहीं थे, को कर रियायतें/छूट/कटौतियों के अनियमित लाभ प्रदान किये। आईटीडी की ओर से कर रियायतें/छूट/कटौतियों के प्रशासन में ये अनियमितताएं कमजोरी को दर्शाते हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। तालिका 3.2 में उप श्रेणियाँ दर्शाई गई हैं

जिन्होंने कर रियायतें/छूट/कटौतियों के प्रशासन में इन अनियमितताओं के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 3.2: कर रियायतें/छूट/कटौतियों के प्रशासन के अंतर्गत गलतियों की उप श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. मूल्यहास/व्यापार हानियां/पूर्जीगत हानियों को अनुमत करने में अनियमितताएं	71	590.75	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब.
ख. अनियमित छूट/कटौतियां/रिबेट/कर छूट/मैट क्रेडिट	27	328.98	दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब.
ग. व्यापार व्यय की गलत अनुमति	47	514.09	आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, और पंजाब
कुल	145	1,433.82	

3.3.2 मूल्यहास अनुमत और व्यापार/पूर्जीगत हानियों का समजंन और अग्रनयन करने में अनियमितता

नीचे ऐसे 10 निदर्शी मामले दशाये गये हैं:

सीबीडीटी ने स्पष्ट किया⁴⁰ कि निर्माण-संचालन हस्तारण (बीओटी) के अंतर्गत सड़क/राजमार्ग के आधारभूत सुविधा के विकास पर निर्माण की लागत का परिशोधन किया जा सकता है और आय कर अधिनियम के अंतर्गत व्यापार व्यय स्वीकार्य के रूप में दावा किया। इसके अतिरिक्त, टोल रोड पर मूल्यहास के दावे के मामले का निर्णय लेते हुए, आइटीए, मुंबई ने निर्णय⁴¹ दिया कि धारा 32 (1) का प्रावधान उस भूमि जिस पर निर्माण किया गया था, के संबंध में पट्टाधारी अधिकारी प्राप्त करते हुए निर्धारिती के मामले में धारा 32 (1) का प्रावधान लागू नहीं होगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2014 पर घोषित अपने निर्णय में न्यायाधिकरण (2012 की आईटीए सं 499) के निर्णय को बरकरार रखा।

3.3.2.1 प्र.सीआईटी-8, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में नि.अ ने दिसम्बर 2012, फरवरी 2014 और मार्च 2015 में क्रमश ₹ 48.96 करोड़, ₹ 79.59 करोड़ और ₹ 191.66 करोड़ का हानि का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2012, फरवरी 2014 और मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 से 2012-13 के लिए मै.वैस्टर्न एमपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टॉल रोड्स प्राइवेट लि. के निर्धारण पूरे किये। निर्धारिती को 25 वर्षों (रियायत अधकार) के आधार पर बीओटी⁴² पर

40 दिनांक 23.04.2014 के सीबीडीटी परिपत्र सं. 09

41 मै.नार्थ कर्नाटक एक्सप्रेसवे लि. बनाम सीआईटी (आईटीए सं; 3978/मुं/2010)

42 निर्माण-प्रचालन-स्थानांतरण

राज्य राजमार्ग सं. 31 के निर्माण विकास और अनुरक्षण के लिए 30 अगस्त 2007 को एमपीआरडीसी⁴³ द्वारा एक परियोजना सौंपी गई। परियोजना का चरण-I और चरण-II क्रमशः नवंबर 2009 और जून 2011 में पूरे किये गये थे और इस पर व्यय किये गये ₹ 372.39 करोड़ तथा ₹ 528.59 करोड़ अमूर्त परिसंपत्तियों के ब्लॉक के अंतर्गत 'रियायत अधिकार' के रूप में प्राप्त किये गये। निर्धारिती ने दावा किया और 1 अप्रैल 2011 तक उपरोक्त अमूर्त परिसंपत्तियों के हासित मूल्य पर 25 प्रतिशत की दर पर ₹ 193.24 करोड़⁴⁴ का मूल्यहास अनुमत किया जो उपरोक्त न्यायिक निर्णय के अनुसार नहीं था। इसके विपरीत, निर्माण लागत का 25 वर्षों की करार अवधि तक परिशोधन किया जाना चाहिए था, जो ₹ 193.24 करोड़ के अनुमत मूल्यहास के प्रति ₹ 36.04 करोड़⁴⁵ तक आंकी गई थी। मूल्यहास की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 83.87 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 157.20 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने नि.व. 2012-13 के लिए आपत्ति (जुलाई 2015) यह कहते हुए स्वीकृत नहीं कि 23 अप्रैल 2014 सीबीडीटी परिपत्र सं. 09 नि.व. 2014-15 से लागू हुआ था। उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि निर्धारण ओदश 14 अक्टूबर 2014 को दिये गये उच्च न्यायालय निर्णय के बाद पास किया गया था जिसको ध्यान रखना आवश्यक था।

3.3.2.2 प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 153.88 करोड़ ही हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए मै.मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 7.57 करोड़ के लाभ बुक किये। निर्धारिती को बीओटी आधार पर एनएच-3 पर एनएचआई परियोजना सौंपी गई। निर्धारिती द्वारा अपने बही-खातों में परियोजना की लागत को पूंजीकृत किया गया था और उक्त का निर्माण पूरा करने से 19 वर्षों के बीओटी ठेके की अवधि तक बड़े खाते में डाल दिया। कर योग्य आय की गणना करते समय, निर्धारिती ने दावा किया और उपरोक्त संदर्भित न्यायिक निर्णय के मददेनजर 19 वर्षों की अवधि हेतु व्यय के परिशोधन के आधार पर ₹ 38.48 करोड़⁴⁶ के स्वीकार्य व्यय के स्थान पर अमूर्त परिसंपत्ति पर लागू 25 प्रतिशत की दर ₹ 182.79 करोड़ का

43 मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

44 ₹193.24 करोड़ = ₹61.09 करोड़ (चरण-I) + ₹ 132.15 करोड़ (चरण-II)

45 ₹ 36.04 करोड़ = ₹ 14.90 करोड़ (चरण-I) + ₹ 21.14 करोड़ (चरण-II)

46 (आदि डब्लूडीवी ₹ 415.29 करोड़ + ₹334.40 करोड़ की परियोजना लागत - ₹ 18.52 करोड़ का प्राप्त किया गया पूर्णगत अनुदान)/ 19 वर्षों की ठेका अवधि

मूल्यहास अनुमत किया गया था। इस चूक के कारण ₹ 46.82 करोड़ के संभावित कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 144.31 करोड़ हानि का अधिक निर्धारण किया गया। आईटीडी ने आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया कि नि.अ. ने मौजूदा वर्ष के (अगस्त 2016) लिए और पूर्व वर्षों में स्वीकृत मूल्यहास का ध्यान में रखने के बाद ₹ 139.67 करोड़ के मूल्यहास के दावा अस्वीकृत करने के बाद नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया तथा ₹ 32.28 करोड़ की राशि स्वीकृत कर 15 वर्षों की शेष रियायत अवधि में ₹ 555.49 करोड़ का शेष व्यय परिशोधित किया। इसलिए, नि.व. 2012-13 के लिए कोई आगामी कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी। टोल रोड पर मूल्यहास के जारी करने पर न्यायिक निर्णय⁴⁷ के मद्देनजर उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था जबकि यह निर्णय था कि धारा 32 (1) के प्रावधान उस भूमि, जिस पर निर्माण किया गया है, के संबंध में पट्टा अधिकारी निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने नि.व. 2012-13 जिससे ले.प. आपत्ति संबंधित थी, के लिए निर्धारण में सुधार करने के स्थान पर नि.व. 2013-14 के निर्धारण में सुधार किया।

अधिनियम की धारा 35एबीबी -दर्शाती है कि प्रांसगिक विगत वर्षों से प्रत्येक के लिए छूट अनुमत होगी। दूर संचार सेवाओं को संचालित करने के लिए कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए खर्च किये गये पूंजीगत व्यय के संबंध में और जिसके लिए वास्तव में भुगतान एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया है। छूट की राशि ऐसे व्यय की राशि को उचित भाग के समान होगी।

3.3.2.3 प्र.सीआईटी-8 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में नि.अ. ने ₹ 668.47 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए में टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि. की संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने विगत वर्ष के दौरान टेलीकॉम एक्सेस सेवाओं के प्रावधान के लिए 3जी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सरकार से ₹ 1,257.82 करोड़ की एकल लाइसेंस फीस अदा की। बही खातों में, निर्धारिती ने 19.25 साल की अवधि के उधार लागत के साथ ₹ 1,257.82 करोड़ के व्यय का परिशोधन किया। यद्यपि, आयकर उद्देश्य के लिए ,निर्धारिती ने दावा किया और अमूर्त परिसंपत्तियों; के लिए स्वीकार्य धारा 32 के अंतर्गत ₹ 249.35 करोड़ का मूल्यहास अनुमत किया जो आदेश में नहीं थी और उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। प्रांसगिक विगत वर्ष के लिए अनुमत परिशोधन उपरोक्त फीस पर स्वीकृत ₹ 249.35 करोड़ के मूल्यहास के प्रति ₹ 68.71 करोड़ तक आंका गया था।

47 मै. नार्थ कर्नाटका एक्सप्रेसवे लि. (आईटीए न. 2012 केए 499 - बोम्बे हाई कोर्ट निर्णय - 14 अक्टूबर 2014)

इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 58.61 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 180.64 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

आईटीडी ने यह कहते हुए आपत्ति (अगस्त 2015) को स्वीकार नहीं किया कि महाराष्ट्र सर्कल (गोवा सहित और मुंबई को छोड़कर) के लिए बोलियां जीतने पर 3जी स्पैक्ट्रम की खरीद के लिए फीस अदा की गई और ग्राह्यता के लिए कोई नया लाइसेंस से प्राप्त करने के लिए अदा नहीं की गई थी उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निर्धारिती दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा संशोधित न किये गये उनके लाइसेंस वाली 3जी सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो सकता था। परिणामतः सितंबर 2010 में वह बोलियां जीत गया। इस प्रकार, सितंबर 2010 का डीओटी का लाइसेंस संशोधन पत्र 3जी सेवाओं के लिए लाइसेंस के रूप में उचित था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 19.25 वर्षों की अवधि में 3जी स्पैक्ट्रम के उपयोग के लिए ₹ 1257.82 करोड़ की एकल फीस अदा की। इसलिए, इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एबीबी के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवाएं संचालित करने के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया पूंजीगत व्यय माना जाना चाहिए। चूंकि अधिनियम में, सेवाओं पर व्यय के प्रशोधन हेतु एक विशिष्ट प्रावधान है, निर्धारिती द्वारा दावाकृत दूरसंचार मूल्यहास को अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लेखा टिप्पणियों⁴⁸ के अनुसार, संबंधित लाइसेंस फीस के प्रति औसतन ₹ 1,257.82 करोड़ की अदा की गई बोली कीमत चल परिसंपत्तियों के अंतर्गत लाइसेंस फीस के रूप में पूंजीगत किया गया था और उक्त को ठेके की अवधि के रूप में परिशोधित किया जाना चाहिए था।

आयकर अधिनियम की धारा 71 (3) के अनुसार, यदि पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत गणना का निवल परिणाम एक हानि है निर्धारिती के पास आय के अन्य शीर्ष के अंतर्गत निर्धारण योग्य आय है, अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति निर्धारित की गई ऐसी हानि के प्रति नहीं होगी।

3.3.2.4 प्र.सी.आई.टी-5 प्रभार, दिल्ली में, नि.अ. ने नि.व. 2007-08 से संबंधित ₹ 86.91 करोड़ के अग्रणीत अनावशोषित मूल्यहास समंजन के बाद आय पर 'निरंक' पर दिसंबर 2012 में नि.व. 2010-11 के लिए **मै. पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और नि.व. 2007-08 से संबंधित ₹ 63.15 करोड़ और नि.व. 2008-09 के संबंध में ₹ 45.18 करोड़ के बकाया अनुमत किये। नि.व. 2007-08 और 2008-09 से संबंधित रिकॉर्ड के निर्धारण के अनुसार, केवल नि.व. 2007-08 के संबंध में

48 वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पण 24.12

₹ 55.26 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास ही अग्रनेयन हेतु उपलब्ध थे और नि.व. 2008-09 में अग्रनेयन हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं थी। इन गलतियों के कारण ₹ 18.04 करोड़ के कर संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 53.07 करोड़⁴⁹ की गलत हानि का अग्रनेयन हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम 154 के अंतर्गत गलती में (फरवरी 2016) सुधार किया।*

3.3.2.5 प्र.सीआईटी-16 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 50.17 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 के लिए **मै.9 एक्स मीडिया प्रा.लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और उपलब्ध आय की सीमा तक ₹ 45.72 की हानि का समंजन अनुमत करने के बाद अगस्त 2013 में इसका सुधार किया। समंजित हानि में नि.व. 2009-10 से संबंधित ₹ 83.39 करोड़ की अग्रनेयन हानि भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2009-10 हेतु निर्धारिती के निर्धारण मामले को ₹ 89.43 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2015 में धारा 147 के अंतर्गत दोबारा खोला गया। इस प्रकार, नि.व. 2009-10 के संबंध में 'निरंक' हानि अग्रनेयन के लिए उपलब्ध थी और नि.व. 2010-11 में समंजित की गई। ₹ 45.72 करोड़ की हानि के गलत समंजन के परिणामस्वरूप ₹ 15.54 करोड़ कर के कम उदग्रहण सहित उक्त सीमा तक आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत सुधार (अप्रैल 2016) के लिए सुधारात्मक कार्यवाही आरंभ की।*

धारा 143 (3) दर्शाती है कि नि.अ. को पूर्ववत वर्षों की अग्रनेयन हानि के समंजन सहित उचित रूप से आय को निर्धारित और आकलित करना पड़ता है तथा अदा करने योग्य और वापसी योग्य कर निर्धारित करना पड़ता है, जैसा कि मामला हो। रिटर्न के साथ संलग्न लेखे, रिकॉर्ड और सभी दस्तावेजों सहित की विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारण में विस्तृत जांच करने की आवश्यक होती है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय समय पर निर्देश भी जारी किये हैं।

3.3.2.6 सीआईटी-3 बेंगलूर प्रभार, कर्नाटक में, नि.अ. ने ₹ 87.90 करोड़ की रिटर्नड हानि के प्रति ₹ 17.79 करोड़ और बढ़ाने के बाद ₹ 105.70 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए जनवरी 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **मै. द मैसूर पेपर मिल्स प्रा.लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण पूरा करते हुए, मौजूदा वर्ष हानि ₹ 70.10 करोड़ के स्थान पर ₹ 105.70 करोड़ तक गलत निर्धारित की गई। इस गलती के कारण ₹ 35.59 करोड़ तक हानि की अधिक गणना की गई जो ₹ 11.82 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित

49 ₹ 53.07 करोड़ = (₹ 63.15 करोड़ + ₹ 45.18) – ₹ 55.26 करोड़

अग्नेनीत की जानी स्वीकृत की गई। मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत सुधार (अप्रैल 2016) के लिए सुधारात्मक कार्यवाही आरंभ की।

3.3.2.7 सीआईटी एलटीयू चेन्नै प्रभार, तमिलनाडु में, नि.अ. ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 59.05 लाख की हानि अग्नेनयन समंजित करने के बाद 'निरंक' आय निर्धारित करते हुए धारा 92 सीए के साथ पठित संवीक्षा के बाद फरवरी 2014 में नि.व 2010-11 के लिए **मै. एक्सलस इंडिया लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 55.60 लाख का लाभ बुक किया। निर्धारण पूरा करते समय, ए.ओ ने नि.व. 2010-11 के संबंध में ₹ 13.35 करोड़ की व्यापार हानि और ₹ 10.14 करोड़ की अनावशोषित हानि का अग्नेनयन स्वीकृत किया। रिकॉर्ड के अनुसार नि.व. 2010-11 के संबंध में काई हानि राशि अग्नेनयन और समंजन के लिए उपलब्ध नहीं थी। इस गलती के कारण ₹ 7.99 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 23.50 करोड़⁵⁰ की हानि का अधिक अग्नेनयन किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (अप्रैल 2015)।*

3.3.2.8 सीआईटी-1 चेन्नै प्रभार, तमिलनाडु में नि.अ. ने ₹ 4.26 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व 2011-12 के लिए **मै. अंबातुर क्लोदिंग लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और लाभ और हानि लेखे में 'बिक्री, प्रशासन और अन्य व्यय' शीर्ष के अंतर्गत सहायक फर्म से हानि के भाग के प्रति ₹ 6.92 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। सहायक फर्म से हानि में निर्धारिती की हानि नहीं थी, उक्त के संबंध में छूट अस्वीकृत की जानी अपेक्षित थी। गलत स्वीकृती के कारण उक्त सीमा तक अधिक हानि अग्नेनयन के परिणामस्वरूप ₹ 13.84 करोड़ की हानि और ₹ 4.60 करोड़ के संभावित कर प्रभाव की अधिक गणना की गई। *आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (अक्टूबर 2015) किया।*

3.3.2.9 प्र.सीआईटी-7 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 11.48 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2011 में नि.व 2009-10 के लिए **मै.टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। ₹ 11.48 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास अग्नेनयन के समंजन के बाद 'निरंक' पर आय पुनः निर्धारण करते हुए फरवरी 2012 में निर्धारण में सुधार किया। 20 मार्च

50 ₹ 23.50 करोड़ = (₹ 13.35 करोड़ + ₹ 10.14 करोड़)

2013 को निर्धारण में पुनः सुधार किया गया और 20.16 करोड़ की आय को अग्रेणीत हानि में समंजित किया गया। निर्धारण दोबारा खोला गया था और 25 मार्च 2013 ₹ 20.46 करोड़ की निर्धारण हानि में पर को पूरा किया गया। पुनः निर्धारण आदेश (मार्च 2013) में कर योग्य आय की गणना करते समय, नि.अ. ने अग्रेनयन हानियां के समंजन से पहले दिसंबर 2011 में पास किये गये आंशिक निर्धारण आदेश में दिये गये ₹ 11.48 करोड़ के स्थान पर 20 मार्च 2013 को पास किये गये सुधार आदेश के अनुसार आय निरंक मानी। इस गलती के कारण ₹ 3.90 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 11.48 करोड़ की हानि की अधिक स्वीकृति दी गई। *आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मार्च 2016) किया गया।*

धारा 70 दर्शाती है कि यदि आय के किसी शीर्ष के अंतर्गत किसी स्रोत के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष हेतु निवल परिणाम हानि है तो निर्धारिती निर्धारण वर्ष 2003-04 से छोड़कर आय के उक्त शीर्ष के अंतर्गत किसी अन्य स्रोत से आय के प्रति समंजित ऐसी हानि की राशि के लिए हकदार होता है, दीर्घावधि पूर्णगत हानि केवल दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के प्रति समंजित नहीं की जा सकती ।

3.3.2.10 सीआईटी-3 प्रभार, दिल्ली में, नि.अ. ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 216.76 करोड़ का लाभ बुक किया। सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 5.17 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व 2012-13 के लिए **मै.डीएलएफ यूटीलिटिज लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 216.76 करोड़ का लाभ बुक किया। निर्धारिती ने 'निरंक' व्यापार आय (₹ 71.32 करोड़¹ की उपलब्ध आय सीमा के अग्रेनीत अनावशोषित मूल्यहास कर समंजन करने के बाद) पर और अग्रेनीत की गई ₹ 9.87 करोड़ की दीर्घावधि हानि पर रिटर्न फाईल की। कर योग्य आय की गणना करते समय, नि.अ. ने ₹ 4.70 करोड़ (निर्धारण के दौरान की गई अस्वीकृति के संबंध में) की व्यवसाय आय के प्रति ₹ 9.87 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत हानि समंजित की और 'निरंक' आय (अतिरिक्त सीमा तक ₹ 4.70 करोड़ के अग्रेनीत अनावशोषित मूल्यहास समंजन के बाद) के स्थान पर ₹ 5.17 करोड़ की हानि का निर्धारण पूरा किया। इस गलती के कारण ₹ 5.17 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण तथा ₹ 3.20 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 4.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मार्च 2016) किया गया।*

3.3.3. अनियमित छूट/कटौतियां/कर छूट/रियायत/मैट क्रेडिट

हम नीचे छः ऐसे निदर्शी मामले दर्शा रहे हैं:

अधिनियम की धारा 10ए लाभ और प्राप्ति की छूट स्वीकृत की जो कि सामान या सामग्री या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से एक उपक्रम द्वारा प्राप्त किये गये हैं। अधिनियम की धारा 92सी(4) के प्रथम नियम के अनुसार, यदि कम कीमत के संबंध में कुल आय बढ़ाई गई है, धारा 10ए, 10बी या अध्याय VI-ए के अंतर्गत कोई छूट आय की बढ़ी हुई मात्रा के संबंध में स्वीकृत होगी। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया⁵¹ कि धारा 10ए अधिनियम की धारा 71/72 के प्रावधानों के लागू होने के बाद स्वीकृत की जाएगी और न्यायालय द्वारा दिया गया परिपत्र विभाग अपील में मामलों को चलाये रखने के लिए बाध्य करेगा।

3.3.3.1 प्र.सीआईटी-2 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने अधिनियम की धारा 10 ए के अंतर्गत ₹ 559.47 करोड़ की छूट स्वीकार करने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 250.87 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए जनवरी 2015 में धारा 153 और 144 सी(4) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. 2010-11 के लिए मै.सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। नि.अ. ने ₹ 24.02 करोड़ के स्थानांतरण मूल्य समायोजन तथा ₹ 22.08 करोड़ के लघु अवधि पूंजीगत लाभ स्थानांतरण मूल्य समायोजन राशि सहित धारा 10 ए के अंतर्गत छूट से पूर्व आय पर सहित कई स्वीकृतियों प्रदान की। लघु अवधि पूंजीगत लाभ और स्थानांतरण मूल्य समायोजन पर छूट की स्वीकृति आदेशानुसार नहीं थी। छूट की अनियमित स्वीकृति के कारण ₹ 46.10 करोड़ की आय का कम निर्धारण और ₹ 15.67 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण और ₹ 85.27 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 250.87 करोड़ की अनियमित हानि अग्रेनयन का कम निर्धारण किया गया। आईटीडी ने आपत्ति (अक्टूबर 2015) को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि धारा 10ए अधिनियम की धारा 172 के प्रावधानों के लागू करने से पहले बाहर थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हानि के संग्रह के बाद 10ए छूट विनिर्दिष्ट करते हुए सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया 2013 की परिपत्र संख्या 07 के अनुसार निर्धारण अधिकारी इसके प्रति बाध्य था।

आय कर अधिनियम की धारा 115जेएए किसी निर्धारिती को मैट क्रेडिट का अग्रेनयन अनुमत करती है जब सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर से अधिक है। यद्यपि, ऐसे क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर के अंतर तक सीमित होंगे।

3.3.3.2 प्र.सीआईटी-2, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, ₹ 6,335.59 करोड़ की प्रतिदाय निर्धारण करते हुए मार्च 2014 में सार रूप में नि.व. 2012-13 के

51 दिनांक 16 जुलाई 2013 की परिपत्र स.07

लिए **मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** की आय का रिटर्न प्रसंस्कृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 154 के अंतर्गत संशोधन आदेश ₹ 8,471.56 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित करते हुए मार्च 2014 में पास किया गया था। नि.अ. ने नि.व 2011-12 के संबंध में ₹ 53.32 करोड़ का मैट क्रेडिट अनुमत किया जो कि उपलब्ध नहीं था क्योंकि नि.व. 2011-12 के लिए निर्धारण मई 2014 में धारा 154 के अंतर्गत पास किये गए संशोधन आदेश को मानते हुए मार्च 2013 में सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत संवीक्षा के आद पूरा किया गया था। इस गलती के कारण ₹ 53.32 करोड़ के मैट क्रेडिट की अनियमित स्वीकृति हुई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2015) और मैट क्रेडिट वापस लेते हुए धारा 144सी (13) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाई (फरवरी 2015) पूरी की।*

धारा 143 (3) दर्शाती है नि.अ. उचित ढंग से आय को निश्चित और निर्धारित करता है। रिटर्न के साथ संलग्न लेखे, रिकॉर्ड और सभी दस्तावेजों सहित की विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारण में विस्तृत जांच करने की आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त, धारा 35एडी के अनुसार, निर्धारिती को उसके द्वारा किये गये विशिष्ट बिजनेस पर व्यय किये गये पूंजीगत रूप से खर्च के संबंध में छूट अनुमत की गई, जिस पर उसके द्वारा किया गया ऐसा व्यय अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगा।

3.3.3.3 प्र.सीआईटी.-2 प्रभार, दिल्ली में, नि.अ. ने धारा 35एडी कं अंतर्गत ₹ 124.34 करोड़ की छूट स्वीकृत करने के बाद ₹ 125.86 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए फरवरी 2015 में धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. 2011-12 के लिए **मै.बुटीक होटलस इंडिया प्रा. लि. का निर्धारण पूरा किया। धारा 35एडी के अंतर्गत ₹ 124.34 करोड़ का अपना दावा निर्धारिती ने वापस ले लिया (जनवरी 2014) क्योंकि आवश्यक शर्तें⁵² पूरी नहीं की गई थीं। कर योग्य आय की गणना करते समय, नि.अ. ने दावे की स्वयं वापसी के बावजूद ₹ 124.34 करोड़ की छूट अस्वीकृत नहीं की। इस गलती के कारण ₹ 41.30 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 124.34 करोड़ तक हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत गलती (फरवरी 2016) में सुधार किया।***

52 निर्धारिती ने जयपुर में अपनी दो होटल संपत्तियों के लिए पर्यटन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार से स्टार श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार निर्धारिती ने दिनांक 31 जनवरी 2014 के पत्र द्वारा धारा 35एडी के अंतर्गत अपना दावा वापस ले लिया।

आय कर अधिनियम की धारा 115जेएए किसी निर्धारिती को मैट क्रेडिट का अग्रोनयन अनुमत करती है जब सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर से अधिक है। यद्यपि, ऐसे क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर के अंतर तक सीमित होंगे।

3.3.3.4 प्र.सीआईटी-8 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में , नि.अ. ने ₹ 850.70 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए फरवरी 2015 में नि.व 2010-11 के लिए मै. वोडाफोन इंडिया लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ 29.81 करोड़ का मैट क्रेडिट स्वीकृत किया था जबकि पूर्व वर्षों के रिकॉर्डों के सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर अदा किया था और बाद के वर्षों में अग्रोनयन और समंजन के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। ₹ 29.81 करोड़ मैट क्रेडिट के समंजन की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 29.81 करोड़ के कर का उद्ग्रहण किया गया। आईटीडी का उत्तर प्रतिक्षित (नवंबर 2016) था।

सीबीडीटी ने स्पष्ट⁵³ किया कि धारा 10ए छूट अधिनियम की धारा 71 और 72 के प्रावधानों को लागू करने के बाद अनुमत की जानी है।

बाम्बे हाईकोर्ट ने भी निर्णय लिया कि धारा 10ए एक छूट धारा है। इसके अतिरिक्त, धारा 92सी (4) के अनुसार धारा 10ए के अंतर्गत कोई छूट दिये गये स्थानांतरण मूल्य वृद्धि पर अनुमत नहीं हैं।

3.3.3.5 प्र.सीआई.टी-15 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2010-11 के लिए मै. 3 आई इंफोटेक लि. की संवीक्षा निर्धारण ₹ 23.30 करोड़ की कुल हानि निर्धारित करते हुए जनवरी 2015 में पूरा किया। निर्धारण पूरा करते समय, नि.अ. ने ₹ 88.03 करोड़ जिसमें अन्य विषय सहित स्थानांतरण मूल्य समायोजनों के संबंध में ₹ 43.78 करोड़ की वृद्धि शामिल थी का वर्धन किया। धारा 10ए के अंतर्गत छूट की स्वीकृति से पहले ₹ 59.84 करोड़ की आय में ₹ 2.25 करोड़ की अन्य आय और ₹ 43.78 करोड़ के स्थानांतरण मूल्य वृद्धि शामिल थी जिसपर धारा 10ए छूट उपलब्ध नहीं थी। कर योग्य आय की गणना करते समय, नि.अ. ने ₹ 13.81 करोड़⁵⁴ के स्वीकार्य छूट के प्रति धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 85.26 करोड़ की छूट अनुमत की। चूक के कारण ₹ 24.29 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 71.45 करोड़ की अनियमित छूट प्रदान की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतिक्षित था (नवंबर 2016)।

53 दिनांक 16 जुलाई के 2013 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 07 (पैरा 5)।

54 ₹13.81 करोड़ = (₹59.84 करोड़- ₹2.25 करोड़- ₹43.78 करोड़)

19 अगस्त 2009 से लागू वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार शर्त है कि धारा 80 आईबी (10) के अंतर्गत छूट उस मामले में उपलब्ध नहीं होगी जहां एक इकाई से ज्यादा किसी व्यक्ति या उसके निर्दिष्ट परिवार के सदस्य को आंबटित की गई हो। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए विस्तारित 80 आईबी के लिए तर्क का विवरण करते हुए वित्त अधिनियम, 2009 की विवरणात्मक टिप्पणी से स्पष्ट किया कि उपरोक्त प्रोजेक्ट के लाभ के उद्देश्य निम्न और मध्यम आय परिवार के लिए हाउसिंग स्टॉक का निर्माण करना था और इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने आवासीय इकाईयों⁵⁵ के आकार पर प्रतिबंध लगाया।

3.3.3.6 प्र.सीआईटी-केन्द्रीय-2 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, धारा 80 आईबी (10) के अंतर्गत ₹ 56.14 करोड़ की छूट स्वीकृत करने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 35.66 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2014 में नि.व 2011-12 के लिए मै. रनवाल रियल्टी प्रा. लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। धारा 80 आईबी (10) के अंतर्गत छूट रिकॉर्ड के अनुसार, प्रत्येक फ्लैट के संबंध में कारपेट क्षेत्र के आधारपर निर्धारिती को अनुमति प्रदान की गई थी और न कि बिल्ट अप क्षेत्र के आधार पर। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती के एक प्रस्तुतीकरण से पता चला कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति या उनके निर्दिष्ट परिवार के सदस्य को विभिन्न इकाईयां आंबटित की गई हैं और एक मामले में, बुकिंग की तिथि और करार की तिथि दोनों अधिनियम में संशोधन की लागू तिथि के बाद की थी। नि.अ. ने दिनांक 2 नवंबर 2010 के व्यवसाय अनुमति के आधार पर छूट स्वीकृत की जबकि अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एक पूर्णता प्रमाण-पत्र होना चाहिए। चूंकि निर्धारिती ने धारा 80 आईबी के अंतर्गत ₹ 56.14 करोड़ के छूट प्राप्त करने के लिए अधिनियम की आवश्यक अपेक्षाओं का पूरा नहीं किया, अतः अनुमत छूट अनियमित थी। छूट की अनियमित अनुमति के कारण ₹ 18.65 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के कारण ₹ 56.14 करोड़ आय का कम निर्धारण किया गया। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाही (जून 2016) की पहल की।

55 एक खरीदार से बहल आसन्न इकाईयों के बिक्री करार करके आकार प्रतिबंध पर कुछ डेवलपर्स, द्वारा प्रावधानों के न मानने के कारण, संशोधन किया गया था

3.3.4 व्यापार व्यय की गलत अनुमति

नीचे हम 11 ऐसे निदर्शी मामले दे रहे हैं:

आय कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 36(1)(vii) किसी डुबत ऋण या इसके भाग की राशि की छूट अनुमत करती है, जिसे विगत वर्ष के दौरान निर्धारिती ने लेखों में गैर वसूली योग्य के रूप में बट्टे खाते में डाले गये हैं। ऐसे किसी ऋण या इसके भाग के संबंध में छूट की राशि उस राशि तक सीमित होगी जहां तक ऐसे किसी ऋण या इसके भाग इस खंड के अंतर्गत तैयार डुबत और संदिग्ध ऋण लेखे के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष अधिक होगा। इस खंड के उद्देश्य के लिए, निर्धारिती के लेखों में गैर वसूली योग्य के रूप में बट्टे खाते में डाले गये डुबत या उनके कोई भाग निर्धारिती के खाते के डुबत और संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।

3.3.4.1 सीआईटी-3, हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, नि.अ. ने क्रमशः ₹ 1792.35 करोड़ और ₹ 1551.19 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए फरवरी 2013 और मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि.व 2010-11 और 2011-12 के लिए **मै. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती के पास इन नि.व के लिए ₹ 345.27 करोड़ और ₹ 662.58 करोड़ के एनपीए प्रावधान थे जिनके प्रति बही खातों में क्रमशः ₹ 88.41 करोड़ और ₹ 170.23 करोड़ के अग्रिम बट्टे खाते में डाले गये। यद्यपि, आय की गणना के अनुसार, निर्धारिती ने अलग गैर-शहरी शाखा अग्रिम के प्रति ₹ 75.03 करोड़ और ₹ 186.75 करोड़ का दावा किया जिसके परिणामस्वरूप दो नि.व के लिए क्रमशः ₹ 75.03 करोड़ और ₹ 170.23 करोड़ सीमा तक अग्रिम की दोहरी छूट प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने दावा किया और नि.व. के लिए भूमि, भवन और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि के प्रति क्रमशः ₹ एक करोड़ और ₹ 2.48 करोड़ राशि अनुमत की गई थी। इसके अतिरिक्त, नि.अ. ने क्रमशः नि.व 2010-11 और 2011-12 के दौरान धारा 115पी के अंतर्गत ₹ 13.08 लाख और ₹ 7.47 लाख ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप इन नि.व के लिए ब्याज सहित औसतन ₹ 118.20 करोड़ कर के कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने नि.व 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः फरवरी 2014 और जनवरी 2015 में सुधारात्मक कार्यवाई की गई।*

अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के प्रावधान के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गये डुबत ऋण के संबंध में अनुमत छूट की राशि ऐसे किसी ऋण या इसके भाग के संबंध में छूट की राशि उस राशि तक सीमित होगी जहां तक ऐसे किसी ऋण या इसके भाग इस खंड के अंतर्गत तैयार डुबत और संदिग्ध ऋण लेखे के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष अधिक होगा।

3.3.4.2 प्र. सीआईटी-2 मुंबई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 6738.07 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व 2011-12 के लिए आईसीआईसीआई बैंक लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 146.62 करोड़ की छूट अनुमत की गई थी जो धारा 36(1)(viiक) के अंतर्गत प्रासंगिक विगत वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाले गये ₹ 556.05 करोड़ के डुबत ऋणों के प्रति आय की वास्तविक रिटर्न के अनुसार डुबत और संदिग्ध ऋणों के प्रति ₹ 409.43 करोड़ के पूर्व वर्ष प्रावधान समायोजित करने के बाद प्राप्त हुये थे। नि.अ. ने नि.व 2010-11 के लिए निर्धारण⁵⁶ के दौरान धारा 36(1)(viiक) के अंतर्गत डुबत ऋणों के प्रावधान के संदर्भ में ₹ 738.02 करोड़ की छूट अनुमत की। वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाले गये डुबत ऋणों के रूप में अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के अंतर्गत किये गये ₹ 738.02 करोड़ के आदि क्रेडिट शेष से कम थे, अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के अंतर्गत छूट निर्धारिती को अनुमत नहीं थी। इस चूक के कारण ₹ 48.70 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 146.62 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

आईटीडी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि निर्धारिती ने की गई बढोतरी के लिए आगामी निर्धारण वर्ष के लिए अपील की थी। डुबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष नि.व 2010-11 के लिए अपील के निपटान पर परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए, डुबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नि.व 2010-11 के लिए आय के वास्तविक रिटर्न के अनुसार ₹ 409.43 करोड़ पर लिये गये थे। उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि नि.व 2010-11 के लिए संवीक्षा निर्धारण मार्च 2014 में पूरा किया गया था अर्थात् नि.व 2011-12 के लिए संवीक्षा निर्धारण से पहले ही पूरा कर लिया गया था (मार्च 2015)। निर्धारण की तिथि तक रिकार्ड पर उपलब्ध सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा निर्धारण पूरा किये जाने की आवश्यकता थी। चूंकि नि.व 2010-11 के लिए अपील आदेश नि.व 2011-12 के लिए निर्धारण की तिथि तक पास नहीं किया गया था, धारा 36 (1) (vii क) के अंतर्गत अनुमत ₹ 738.02 करोड़ की छूट की राशि डूबत ऋण दावे के प्रति समंजित करने के लिए उपलब्ध आदि शेष के रूप में मानी जानी चाहिए।

56 दिनांक 12 मार्च 2014 अधिनियम की धारा 144सी (3) के साथ धारा 143 (3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश पूरा किया।

अधिनियम की धारा 35 डी (2) के प्रावधान (सी) (iv) के अनुसार, जहां कोई निर्धारिती किसी भारतीय कंपनी के रूप में अपने उपक्रम के विस्तार के लिए या एक नई इकाई स्थापित करने के बाद हामीदारी कमीशन, ब्रोकरेज के रूप में शेयरों की सार्वजनिक भागीदारी या कंपनी के ऋणपत्र के लिए जारी करने के संबंध में व्यय करता है, और ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग और सूचीपत्र को विज्ञापन के लिए प्रभार प्रत्येक पांच आगामी विगत वर्षों के लिए ऐसे व्यय के 1/5 भाग के समान राशि की छूट अनुमत होगी।

3.3.4.3 प्र. सीआईटी - एलटीयू मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने धारा 115 जेबी के अंतर्गत ₹ 3031.84 करोड़ के बक लाभ निर्धारित करते हुए दिसंबर 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए मै. टाटा मोटर्स लि. का संवीक्षा निर्धारण किया। निर्धारिती ने दावा किया और प्रसंस्करण फीस, विधिक और व्यवसायिक प्रभार, हामीदारी शुल्क, बैंक गारंटी कमीशन आदि के रूप में गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों (एनसीडी) के जारी करने के संबंध में ₹ 139.62 करोड़ का व्यय अनुमत किया गया था। रिकॉर्ड⁵⁷ के अनुसार, एनसीडी कंपनी की तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए और जेगुआर तथा लैंडरोवर बिजनैस अधिग्रहण के लिए विश्वस्तर पर आटोमेटिव व्यापार विस्तार के कारण निधियां प्राप्त करने के लिए जारी की गई थी। इस प्रकार, उपक्रम के विस्तार के संबंध में ये व्यय किये गये। धारा 35 डी के प्रावधान के अनुसार, निर्धारिती ₹ 139.62 करोड़ की कुल राशि के स्थान पर ₹ 27.92 करोड़ (₹ 139.62 करोड़ का 1/5) के व्यय के दावे का हकदार था। व्यय की गलत अनुमति के कारण ₹ 37.96 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 111.70 करोड़ के आय का कम निर्धारण किया गया।

मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखा परीक्षा आपत्ति (अगस्त 2016) को स्वीकार किया कि निर्धारिती पहले ही ऑटोमोबाइल निर्माण बिजनैस में था और वर्ष के दौरान न तो किसी मौजूदा उपक्रम का विस्तार किया गया था, न ही किसी नई इकाई की स्थापना की गई थी। जेगुआर और लैंड रोवर (जेएलआर) के बिजनैस पहले ही निर्धारिती द्वारा अधिग्रहित किये हुए थे। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया स्पष्टीकरण⁸ मांगा गया था और न्यायिक निर्णय⁹ और जहां भी निर्णय दिये गये थे कि ऋण उठाने के संबंध में किया गया व्यय बिजनैस व्यय के रूप में अनुमति योग्य था। इसलिए ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय अनुमतियोग्य व्यय था और अधिनियम की धारा 35 डी के प्रावधानों के अंतर्गत कवर नहीं किया

57 आय की गणना की टिप्पण 27

58 दिनांक 19 मार्च 1971 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 56

59 इंडिया सीमेन्ट लि.(60 आईटीआर 52) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय और सिक्थोर मीटर्स लि. (611 आईटीआर 321) के मामले में माननीय सर्वोच्च राजस्थान उच्च न्यायालय

गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने आय की गणना टिप्पण 27 में प्रकट की थी कि उसने विश्व स्तर पर ऑटोमेटिव बिजनेस विस्तार के लिए और जेगुआर और लैंडरोवर बिजनेस अधिग्रहण के लिए ये निधियां प्राप्त की थी। यह एक सत्यापित तथ्य है कि कंपनी ने इस वर्ष में जेगुआर और लैंडरोवर बिजनेस अधिग्रहण किया। इसलिए उपक्रम के बिजनेस विस्तार के लिए ऋण प्राप्त के करने के संबंध में किया गया व्यय अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों द्वारा प्रशासित होगा। इसके अतिरिक्त, न्यायिक रूप से यह निर्णय⁶⁰ लिया गया कि विस्तार के लिए किया गया व्यय जिसमें उपक्रम का विस्तार शामिल होता है, यह आयकर अधिनियम की धारा 35 डी की सीमा में आता है। न्यायालय के मद्देनजर जब विधानमंडल (अधिनियम) उनकी बिजनेस गतिविधि में निर्धारिती द्वारा किये गये व्यय की विशिष्ट श्रेणी के संबंध में छूट का दावा करते हुए विशेष प्रावधान करता है, तब उस मामले में इस विषय से संबंधित सामान्य प्रावधान कार्यान्वित नहीं होते।

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमतियोग्य छूट अधिनियम की धारा 30 से 43 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हैं। वे व्यय जो केवल प्रावधान मात्र हैं और पूर्णतः व्यय नहीं किये हैं तथा केवल बिजनेस के उद्देश्य के लिए ही हैं वे अनुमति योग्य नहीं हैं। सीबीडीटी ने स्पष्ट⁶¹ किया कि बाजार आधार के रूप में चिन्हित करने पर निर्धारित हानियों की प्रकृति आकस्मिक है और इसलिए ये अनुमत नहीं की जानी चाहिए।

3.3.4.4 प्र. सीआईटी-12 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 58.57 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए जनवरी 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए मै. डुरो इंवेस्टमेंट इंडिया प्रा. लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लाभ और हानि लेखे के अनुसार निर्धारिती ने 'बाजार आधार के चिन्हित करने पर गैर परिवर्तनीय ऋणपत्रों के पुनः मूल्यांकन' के संबंध में ₹ 87.63 करोड़ और अन्य आय शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियम के निवल इंडैक्स विकल्पो पर पुनः मूल्यांकन के संबंध में ₹ 6.31 करोड़ की हानि बुक की। लेखा टिप्पण⁶², के अनुसार व्यय वास्तविक आधार पर बुक नहीं किये गये थे। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 31.93 करोड़ के कम उदग्रहण सहित ₹ 93.94 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। मंत्रालय ने लेखा परीक्षा स्वीकार की और धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई (मार्च 2016) की।

60 श्री सिंथेटिक लि. बनाम सीआईटी (303 आईटीआर 451), मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय निर्णय

61 दिनांक 23 मार्च 2010 की सीबीडीटी निर्देश संख्या 03

62 अनुसूची 2.8 और 2.11

अधिनियम की धारा 14ए के अनुसार, कुल आय जो कि कुल आया का हिस्सा नहीं होती, के संबंध में निर्धारिती द्वारा किया गया व्यय के संबंधमें कोई छूट अनुमत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आय कर नियमावली, 1962 का नियम 8 डी गैर अनुमति की गणनाके तरीके दर्शाती है।

3.3.4.5 सीआईटी 9 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने स्वतः निर्धारिती द्वारा विचार करने पर छूट प्राप्त आय के अर्जन के प्रति धारा 14ए के अंतर्गत ₹ 23.40 करोड़ की अनुमति न देते हुए ₹ 477.33 करोड़की हानि पर मार्च 2013 में निव 2010-11 के लिए मै. आदित्य बिरला रिटेल लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। ₹ 23.40 करोड़ के गैर अनुमति के आकड़ो प्राप्त करते हुए, निर्धारिती ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1,551.65 करोड़ के लाभ और हानि लेखे - डेबिट शेष में शामिल किये और औसत परिसंपत्ति का निर्धारण करने के लिए 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹ 1,010.50 करोड़ शामिल किये जो उचित नहीं था। ये समायोजन हेतु विपरीत आंकड़ें दर्शाते हैं और किसी मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रोत्साहित नहीं थे। धारा 14 ए के अंतर्गत कुल गैर-अनुमति स्वतः निर्धारिती द्वारा निर्णित ₹ 23.30 करोड़ के प्रति ₹ 89.39 करोड़ आंकी गई। इस चूक के कारण ₹ 22.43 के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 65.99 करोड़ का कम गैर अनुमति हुई। *मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की और मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की।*

अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, बिजनैस के लिए व्यय या प्रोद्भूत व्यय अनुमत व्यय है। यद्यपि, असंभावित देयता प्राप्त करने के लिए बनाये गये प्रावधान बिजनैस के लाभ और प्राप्तियों की गणना करते समय एक छूट अनुमत नहीं है। यह एक न्यायिक निर्णय⁶³ है कि मंद गति वाली प्रविष्टियों के प्रावधान एक अनुमति योग्य छूट नहीं है।

3.3.4.6 प्र. सीआईटी, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने क्रमशः ₹ 994.53 करोड़ और ₹ 1426.79 करोड़ आय निर्धारित करते हुए फरवरी 2014 और मार्च 2015 में निव. 2010-11 और 2011-12 के लिए मै. **अंबुजा सीमेंट्स लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और निर्धारण वर्षों के दौरान मंदगति वाली प्रविष्टियों के लिए बनाये गये प्रावधानों के संबंध में क्रमशः ₹ 52.80 करोड़ और ₹ 9.60 करोड़ अनुमत किये गये थे। प्रकृति में आकस्मिक रहने वाले संयंत्र और मशीनरी के अतिरिक्त पूर्ण के मूल्य में कमी के लिए बनाये गये प्रावधान की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी। गलत

63 मोलेक्स मफतलाल लि. बनाम आईटीओ गांधीनगर और जीपालिन मोबाईल सिस्टम (इंडिया) बनाम एसीआईटी सर्क.- 8 अहमदाबाद- आईटैट अहमदाबाद (7 दिसंबर 2006)

अनुमति के कारण ₹ 21.14 करोड़ के कर प्रभावरहित ₹ 62.40 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति अगस्त 2016 को लेखांकन मानक के अनुसार स्वीकार नहीं किया और न्यायिक निर्णय⁶⁴ यह दर्शाता है कि लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो पर लेखांकन वर्षके प्रारंभ और अंत तक ट्रेड में स्टॉक के लाभ और हानि लेखे को मानना वाणिज्यिक लेखांकन का प्रसिद्ध सिद्धांत होता है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि लेखांकन का उचित सिद्धांत लागत के बहीखातों में स्टॉक में प्रवेश करना होता है। मंत्रालय का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि मंत्रालय द्वारा उद्धृत निर्णयप्रासंगिक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने संयंत्र और मशीनरी के अतिरिक्त पूर्ण के मूल्य में कमी के लिए बनाये गये प्रावधानको चुनौती दी है और न कि उसको मूल्य या मंत्रालय द्वारा की गई चर्चा के अनुसार वास्तविक लागत से नीचे माल के बाजार मूल्य में गिरावट के कारण संभावित लागत को इस मामले में मोलैक्स मफतलाल लि. बनाम आईटीओ गांधीनगर और जीर्पालनमोबाईल सिस्टम (इंडिया) बनाम एसीआईटी 8 अहमदाबाद के मामले में आईटैट अहमदाबाद का निर्णय प्रासंगिक है, जबकि यह निर्णय किया गया था कि मंद गति वाली प्रविष्टियों के लिए प्रावधान अनमत छूट नहीं है। इसके अतिरिक्त, आईटीडी ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत नि व 2010-11 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई (मार्च 2016) प्रारंभ की है।

अधिनियम की धारा 43 बी (एफ) के अनुसार अवकाश नकदीकरण के लिए बनाया गया कोई प्रावधान केवल तभी अनुमत है जब यह वास्तविक रूप से अदा किया गया है। इसका न्यायिक निर्णय⁶⁵ आ चुका है कि धारा 43 बी (एफ) के अंतर्गत बनाया गया प्रावधान एक अनुमत छूट नहीं है और प्रावधान स्वैच्छिक और अनुचित मानते हुए नकार दिया गया।

3.3.4.7 सीआईटी - एलटीयू मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने अधिनियम के ₹ 1287.74 करोड़ सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत और विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 3031.84 करोड़ आय निर्धारित करते हुए मई 2011 और दिसंबर 2014 में नि व. 2007-08 और 2010-11 के लिए **मै. टाटा मोटर्स लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और नि.व. 2007-08 और 2010-11 के लिए अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान के संबंध में क्रमशः ₹ 30.14 करोड़ और ₹ 29.61 करोड़ अनुमत किये गये। उपरोक्त न्यायिक निर्णय के आधार पर धारा 43 बी के अंतर्गत राशि को गैर अनुमत माना गया। इस कारण नि.व. 2007-08 के लिए ₹ 10.15 करोड़ के कर

64 सीआईटी बनाम ब्रिटिश पेंटस इंडिया लि. (1991), 188 आईटीआर 44 (एससी)

65 मै. एक्सार्ड इंडस्ट्रीज लि. बनाम यूनीयम आफ इंडिया (292 आईटीआर 470-कोलकाता हाई कोर्ट)

उदग्रहण और नैट क्रेडिट को अधिक अग्रहण के कारण नि. वि. 2010-11 के लिए ₹ 10.06 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित क्रमशः नि.व. 2007-08 और 2010-11 के लिए ₹ 30.14 करोड़ और ₹ 29.61 करोड़ आय का कम निर्धारण किया गया। आईटीडी ने नि.वि. 2007-08 के लिए आंशिक रूप से आपत्ति (अक्टूबर 2012) में स्वीकार की और धारा 154 के अंतर्गत गलती में (जनवरी 2015) सुधार किया। निर्धारिती ने धारा 154 (जनवरी 2015) के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध सीआईटी(अपील) के समक्षा याचिका दायर की। आईटीडी ने यह कहते हुए नि.व. 2010-11 (जून 2015) के लिए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि अवकाश नकदीकरण की छूट का दावा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय के आधार पर था। उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि धारा 43 बी (एफ) के अंतर्गत छूट केवल तब अनुमत थी जब कर वास्तव में अदा किया गया हो और न कि बनाये गये प्रावधान के आधार पर। इसके अतिरिक्त, कोलकाता उच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्चन्यायालय द्वारा बदला नहीं गया।

अधिनियम की धारा 36 (1)(vii ए) कुल आय (इस खंड और अध्याय VI ए के अंतर्गत कोई छूट देने के लिए की गई गणना) के सात और 1/5 प्रतिशत से कम राशि और विनिर्दिष्ट रूप से गणना की गई ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये औसतन औसत अग्रिम के दस प्रतिशत से कम की राशि किसी प्राथमिक कृषि सोसाइटी या किसी प्राथमिक कॉर्पोरेटिव कृषि और ग्रामिण विकास बैंक की अपेक्षा किसी अनुसूचित बैंक या गैर - अनुसूचित बैंक या किसी कॉर्पोरेटिव बैंक द्वारा दिये गये डुबत और संदिग्ध ऋणों के किसी प्रावधान के संबंध में छूट प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीसी ने स्पष्ट⁶⁶ कि अनिश्चित देयता या प्रोद्भूत न की गई किसी देयता के संबंध में प्रावधान छूट प्रदान नहीं करता।

3.3.4.8 प्र. सीआईटी-2 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के प्रति धारा 36 (1) (vii ए) के अंतर्गत ₹ 211.02 करोड़ की छूट अनुमत करते हुए ₹ 1,466.12 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए जनवरी 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए मै. कोटक महिंद्रा बैंक लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹ 25.57 करोड़ के प्रावधान सहित डुबत और संदिग्ध ऋण के लिए ₹ 197.55 करोड़⁶⁷ के प्रावधान अनुमत किये गये। चूंकि मानक परिसंपत्तियां के प्रावधान छूट⁶⁸, के लिए योग्य नहीं था, धारा 36 (1)(vii ए) के अंतर्गत

66 दिनांक 26/11/2008 का 2008 की सीबीडीटी निर्देश संख्या 17

67 पैरा 10 प्रावधान और आकस्मिकताएं 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे के साथ पठित लेखा टिप्पण की अनुसूची 18

68 सीबीडीटी आदेश संख्या 17-2008 दिनांक 26 नवम्बर 2008 की धारा (xi)

अनुमत छूट ₹ 211.02 करोड़ के स्थान पर ₹ 171.98 करोड़ तक प्रतिबंधित कर दी जानी चाहिए थी। इस चूक के कारण ₹ 12.67 करोड़ के कम कर उदग्रहणसहित ₹ 39.05 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2016)।*

अधिनियम की धारा 37 के अनुसार कोई व्यय पूर्णतः व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न होने के कारण का व्यय किया गया या पूर्णतः खर्च किया गया और केवल बिजनैस या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए बिजनैस या व्यवसाय के लाभ औरी प्राप्तियाँ शीर्षके अंतर्गत प्रभारयोग्य आय की गणना में अनुमत होंगे।

3.3.4.9 प्र. सीआईटी-8 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 749.96 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए जनवरी 2014 में नि.व. 2009-10 के लिए **मै. वोडाफोन इंडिया लि.** का संवीदा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और शेयर आधारित भुगतान रिजर्व के संबंध में ₹ 5.42 करोड़⁶⁹ का व्यय अनुमत किया गया था। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, लेखापरीक्षक ने आकस्मिक प्रकृति की देयता के रूप में ₹ 5.42 करोड़ का सत्यापन किया जो अनुमत नहीं किया जाना था। इस चूक के कारण ₹ 1.84 करोड़ के कम कर उदग्रहण सहित ₹ 5.42 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *मंत्रालय ने ले.प. आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मार्च 2016)।*

3.3.4.10 प्र. सीआईटी -I कोलकाता प्रभार, परिचय बंगाल में, नि.अ. ने ₹ 60.94 करोड़ की हानि निर्धारितकरते हुए मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए **मै. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि.** का संवीक्षानिर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ 76.10 करोड़ की कर राशी से पूर्व निवल हानि तक पहुँचने के लिए कर से पूर्व वर्ष के लिए हानि से विशिष्ट मर्दों के प्रति ₹ 55.91 करोड़ डेबिट किये। वित्तीय विवरणों के अनुसार, उपरोक्त विशिष्ट मर्दों में आस्थगित कर परिसंपत्ति (बट्टे खाते में डाले गये) के संबंध में ₹ 14.57 करोड़ की राशि शामिल थी। चूंकि उक्त अनुमत व्यय नहीं था, इसे निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अनुमत नहीं किया जाना चाहिए था। चूक के कारण ₹ 4.73 करोड़ के संभावित कर प्रभावसहित ₹ 14.55 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई (अगस्त 2016) की।*

69 तुलन पत्र - रिजर्व और सरप्लस की अनुसूची 2 के अनुसार

अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान है कि व्यवसाय और संव्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूर्णतः और विशेष रूप से विस्तारित और बाहर रखे हुए किसी भी व्यय को (धारा 32 से 36 में वर्णित व्यय की प्रकृति में और निर्धारिती के पूंजीगत व्यय एवं निजी व्यय की प्रकृति में मौजूद नहीं है) व्यवसाय और संव्यवसाय के लाभ और मुनाफा शीर्ष के अन्तर्गत आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी। पूर्ण और विशेष शब्द व्यवसाय के उद्देश्य के लिए, वित्तीय अधिनियम 2014 की धारा 37(1) के लिए एक स्पष्टीकरण दो जोड़ने से स्पष्ट होता है, जिसका अर्थ है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियों पर एक निर्धारिती द्वारा किया गया कोई व्यय व्यवसाय और संव्यवसाय के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा किया जाने वाला व्यय नहीं समझा जायेगा।

3.3.4.11 पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता प्रभार में लेखापरीक्षा अधिकारी ने फरवरी 2015 में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए **मै. बालमेर लॉरी एंड कम्पनी लि.** की जांच के निर्धारण को पूरा किया और ₹ 189.86 करोड़ की आय का निर्धारण किया। निर्धारिती ने दावा किया और विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के कारण ₹ 3 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गयी थी। क्योंकि यह व्यय निर्धारिती के व्यापार के उद्देश्य के लिए पूर्ण और विशेष रूप से नहीं किया गया था, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। चूक अस्वीकृत करने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.31 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 3 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने प्रेषण को स्वीकार नहीं किया और कहा कि धारा 37(1) का स्पष्टीकरण 2, 01 अप्रैल 2015 अर्थात् नि.व. 2015-16 और बाद के वर्षों के संबंध में से प्रभावी था, और यह नि.व. 2015-16 से पहले लागू नहीं किया गया था। यद्यपि, निर्धारण वर्ष 2011-12 के दौरान इस प्रकार के व्ययों का अनुमति नहीं देने के प्रश्न को उठाया नहीं गया था।* उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सीएसआर से संबंधित गतिविधियों पर ऐसे निर्धारिती द्वारा वहन किये गये किसी भी व्यय को व्यवसाय और संव्यवसाय के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा वहन किये गये व्यय के रूप में निर्धारित नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 37(1) के लिए स्पष्टीकरण 2 का स्वरूप परिशोधन करने योग्य था और संशोधन करने वाला नहीं था क्योंकि यह संदेहों के निवारण के लिए जोड़ा गया था।

3.4 चूकों के कारण निर्धारणों से रह गई आय

3.4.1 अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से ली गयी वास्तव में प्राप्त या उपर्जित एवं प्राप्त या उपर्जित मानी गयी समस्त आय में सम्मिलित होगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने कुल आय का कम निर्धारण/गैर

निर्धारण किया था जिसे कर के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक था। तालिका 3.3 उप-श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है जो आय निर्धारण से रह गई हैं।

तालिका 3.3 चूकों के कारण निर्धारण से रह गई आय के तहत गलतियों की उप श्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियाँ	संख्या	टीई	राज्य
क. विशेष प्रावधान के तहत आय का कम निर्धारण /गैर निर्धारण	13	62.35	दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ख. सामान्य प्रावधान के तहत आय का कम निर्धारण /गैर निर्धारण	19	140.76	गुजरात,कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ग. पूंजीगत लाभ की गलत वर्गीकरण और गणना	4	6.47	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
घ. आर्म्स लेंथ मूल्य का गलत अनुमान	9	23.28	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ड. अस्पष्टीकृत निवेश नकदी ऋण	2	12.58	दिल्ली और महाराष्ट्र
कुल	47	245.44	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत आय का कम निर्धारण/गैर निर्धारण

हमने इस प्रकार के मामलों के छः उदाहरण नीचे दिये हैं:

धारा 115जेबी के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के उदग्रहण के लिए बही लाभ के निर्धारित प्रतिशत पर सामान्य प्रावधान के तहत देय कर मैट की तुलना में कम है।

3.4.2.1 उत्तर प्रदेश, प्र. सीआईटी नोएडा प्रभार में, लेखापरीक्षा अधिकारी ने मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए **मै. जुबिलंट एनप्रो प्राइवेट लि.** के निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया और विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 66.46 करोड़ के बहि लाभ और सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 23.22 करोड़ की आय का निर्धारण किया था। निर्धारिती ने लाभ और हानि खाते में 'हस्तांतरण पर हानि/निवेशों को बढ़े खाते में डालने के कारण ₹ 118.45 करोड़ डेबिट किये और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत इसे वापस आय में जोड़ा और शेयरो के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी हानि के रूप में इसका दावा किया था। नि.अ. ने शेयरो के विक्रय पर पूंजी हानि के दावे को अस्वीकार किया परन्तु आस्तियों⁷⁰ के मूल्य में हास के रूप में इसको ध्यान में रखते हुए

70 विक्रय के निवेश पर हानि के संबंध में ₹ 118.45 करोड़= ₹ 25.53 करोड़ और निवेशों को निरस्त करने के संबंध में ₹ 92.91 करोड़ (पूंजीगत कटौती)

₹ 118.45 करोड़⁷¹ को वापस जोड़ा नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 32.23 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और अधिनियम की धारा 236 के तहत (नवम्बर 2015) सुधारात्मक कार्रवाही प्रारम्भ की गयी थी।*

धारा 143(3) प्रावधान करता है कि लेखापरीक्षा अधिकारियों को निर्धारित की आय का सही निर्धारण और इन निर्धारण के आधार पर प्रति देय के लिए और उनके द्वारा देय सही राशि का निर्धारण करना होगा। खातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के दावों, अभिलेखों और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के निर्धारणों की संविक्षा में विवरण में जांच करने के लिए आवश्यक है।

3.4.2.2 महाराष्ट्र में, प्र. सीआईटी -10 मुम्बई प्रभार, में नि.अ. ने मार्च 2014 में निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए **मै. ऑरैकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लि.** के निर्धारण की संविक्षा को पूरा किया और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 748.25 करोड़ के बहि लाभ और सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 240.82 करोड़ की आय का निर्धारण किया था। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, नि.अ. ने धारा 10ए के तहत निर्धारित के लिए ₹ 587.76 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। सामान्य प्रावधानों के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय नि.अ. ने ₹ 587.76 करोड़ की कटौती की सही मूल्य राशि के बजाए धरा 10ए के तहत ₹ 630.80 करोड़ की कटौती का गलत विचार किया था। जैसा कि धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारण पूरा किया गया था, कटौती के अतिरिक्त भत्ते के परिणामस्वरूप ₹ 14.63 करोड़ के मैट क्रेडिट के अतिरिक्त अग्रेषण को सम्मिलित करते हुए ₹ 43.04 करोड़ से आय का अल्प निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत त्रुटि को फरवरी 2016 में सुधारा गया था।*

धारा 115जेबी अनुसार के यदि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के उदग्रहण के लिए बहिलाभ की निर्धारित प्रतिशत पर सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर मैट की तुलन में कम है। धारा 115जेबी के तहत स्पष्टीकरण (1) के अनुसार, बहिलाभ का अर्थ है उप धारा (2) के तहत तैयार कुछ परिवर्धन /विलोपन के विषयों के लिए पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाये गये शुद्ध लाभ से है। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ, देनदारियों को पूरा करने के लिए बनाये गये प्रावधानों के लिए अलग मात्राओं को निर्धारित करना सम्मिलित है।

71 आईटीएटी, मुम्बई बैंच प्रधानाचार्य द्वारा आयोजित मामलों में आईटीओ बनाम टीसीएफसी फाइनेन्स लि. आईटीए सं. 1299/एमयूएम /2009 दिनांक 09.03.2011

3.4.2.3 गुजरात में, प्र. सीआईटी-111 अहमदाबाद प्रभार में, नि.अ. ने दिसम्बर 2008 में निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए मै. निरमा लि. के संवीक्षा निर्धारणो को पूरा किया था और ₹ 449.08 करोड़ की आय का निर्धारण किया जिसे मार्च 2011 में धारा 154 के तहत परिशोधित किया था। ₹ 343.85 करोड़ से बहि लाभ और आय की सीमा तक ₹ 449.08 करोड़ के अनवशोषित मूल्यहास और हानियों को आगे लाकर समायोजित करने के बाद सामान्य प्रावधानो के तहत आय का 'शून्य' पर निर्धारण किया। निर्धारण को धारा 154 के तहत (जून 2013) पुनः परिशोधित किया गया और बहिलाभ को ₹ 343.49 करोड़ निर्धारित किया गया। आगे दिसम्बर 2013 के अपीलीय आदेश को प्रभाव में लेते हुए, नि.अ. ने मार्च 2014 में ₹ 343.49 करोड़ के बहि लाभ और ₹ 270.78 करोड़ की आय की सीमा तक अग्रनित अनवशोषित मूल्यहास और हानियों को समायोजित करने के बाद सामान्य प्रावधानो के तहत आय को 'शून्य' पर संशोधित किया था। अपील प्रभाव आदेश (मार्च 2014) और परिशोधन आदेश (जून 2013) में बहि लाभ की गणना करते समय पुर्वोक्त प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए ₹ 48.96 करोड़ के संदिग्ध अग्रिमो के लिए प्रावधान को जोडा नहीं गया है। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.12 करोड़ के कम कर उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 48.96 करोड़ द्वारा बहि लाभ का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत मार्च 2015 में भूल का परिशोधन किया।*

धारा 115जेबी के अनुसार,बहि लाभ से तात्पर्य किसी भी छूट प्राप्त आय के सम्बद्ध में व्यय की गई राशि के द्वारा यदि यह मैट के अधीन नहीं है। अन्य लोगो के बीच बढे हुए पिछले प्रासंगिक वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित शुद्ध लाभ से है। इसके अतिरिक्त, धारा 14ए के अनुसार आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा वहन किये गये व्यय के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं है जो अधिनियम के तहत कुल आय के हिस्से से नहीं है। आय कर नियमावली, 1962 के नियम 8डी के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने नियम के प्रावधान के अनुपात में इस प्रकार के व्यय की मात्रा का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है।

3.4.2.4 तमिलनाडु में, सीआईटी-4 चैन्नई प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2015 में नि.व 2012-13 के लिए मै. एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रचर डिवेलपेमेन्ट प्रोजेक्टस लि. के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया अधिनियम के सामान्य प्रावधानो के तहत ₹ 4.09 करोड़ के बहि लाभ और ₹ 14.20 करोड़ की मूल्यहास हानि को आगे बढाकर समायोजित करने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानो के तहत आय का 'शून्य' पर निर्धारण किया था। निर्धारण को पूरा करते समय यद्यपि नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के तहत ₹ 8.92 करोड़ के मूल्य को अस्वीकृति दी थी, यह बहि लाभ की गणना करने के लिए, इस

पर विचार नहीं किया गया था। व्यय अस्वीकृति की त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ की कम कर उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 8.92 करोड़ द्वारा बहि लाभ का अल्प निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है (नवम्बर 2016)।*

3.4.2.5 राजस्थान में, सीआईटी-2 जयपुर प्रभार में, नि.अ. ने फरवरी 2015 में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए **मै. सेफफलेक्स इन्टरनेशनल लि.** के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया, अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 4.83 लाख के कर और ₹ 15.64 लाख की आय का निर्धारण किया। जैसाकि ₹ 1.36 करोड़ के न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट), ₹ 6.84 करोड़ के बहि लाभ को 18.5 प्रतिशत की दर पर उदग्रहण करने योग्य अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत भुगतान किये गये कर की तुलना में अधिक था, निर्धारिती अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत मैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 1.78 करोड़ को कर के कम उदग्रहण सहित विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 6.84 करोड़ के बहि लाभ का गैर निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने त्रुटि को स्वीकार किया और मई 2016 में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की थी।*

3.4.2.6 सीआईटी-7 दिल्ली प्रभार में, नि.अ. ने दिसम्बर 2013 में निर्धारित वर्ष 2011-12 के लिए **मै. पवन हंस हैलीकोप्टर लि.** के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 50.86 करोड़ के बहि लाभ और सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 28.10 करोड़ की हानि का निर्धारण किया गया। लाभ और हानि खाते में अशोध्य और संदेहास्पद डेबिट के प्रावधान के प्रति ₹ 98.78 लाख और अचल इन्वेस्ट्री/इन्वेन्ट्री की कमी के लिए प्रावधान के संबंध में ₹ 3.12 करोड़ के व्यय कर निर्धारिती द्वारा दावा किया गया और अनुमति की गयी थी। जब गैर निर्धारित देनदारियों के संबंध में ₹ 4.10 करोड़ के प्रावधान बनाये गये थे, तब इन व्ययों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 1.09 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 4.10 करोड़ के द्वारा बहि लाभ का अल्प निर्धारण हुआ था। *मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और (जुलाई 2015) धारा 154 के तहत त्रुटियों का सुधारा गया।*

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत आय का गैर निर्धारण/अवनिर्धारण

हमने इस प्रकार के मामलो के छः उदाहरण नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 8डी के अनुपालन में छूट प्राप्त आय के अर्जन के लिए वहन किये गये व्ययों की अस्वीकृति के लिए अधिनियम की धारा 14ए प्रावधान करती है।

यह न्यायिक अधिकार⁷² में किया गया है कि जहां निवेश को शेयरों में निवेश किया गया, जिसमें विचाराधीन वर्ष में कोई भी लाभांश उपज नहीं थी, आय अर्जन के लिए किया गया व्यय इस तथ्य के होते हुए कि ऐसी कोई आय अर्जित नहीं की गयी थी यह कटौती योग्य नहीं थी। नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए हुए प्राप्त अर्जित आय के लिए अस्वीकृति के लिए कार्य करना निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त सीबीडीटी ने भी स्पष्ट किया⁷³ कि नियम 8डी जहां करदाता ने विशेष वर्ष में किसी छूट प्राप्त आय को अर्जन नहीं किया है व्यय की अस्वीकृति के लिए अधिनियम की धारा 14ए के साथ पठित का प्रावधान प्रदान करता है।

3.4.3.1 महाराष्ट्र प्र. सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2015 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए मै. आईसीआईसीआई बैंक लि. की कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया, धारा 14ए के तहत ₹ 531.40 करोड़ की अस्वीकृति बनाने की अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 6,738.07 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। अस्वीकृति के लिए औसत निवेश की संगणना करते समय, निर्धारिती ने तुलन-पत्र के अनुसार क्रमशः ₹ 6,222.68 करोड़ और 2,755.74 करोड़ के रूप में संयुक्त उपक्रमों और सहायक कंपनी में और 'शेयरों में निवेश' (इक्विटी और वरीयता शेयर) के प्रारंभिक जमाओं पर विचार किया था। निवेशों के अंतर्शेष के संबंध में, निर्धारिती ने ₹ 1,049.46 करोड़ और ₹ 2,870.95 करोड़ के केवल उन निवेशों पर विचार किया था जिनमें से तुलन पत्र के अनुसार ₹ 2,813.41 करोड़ और ₹ 6,479.69 करोड़के स्थान पर वर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय वास्तव में प्राप्त की गयी थी। संगणना ऊपर उद्धृत सीबीडीटी परिपत्र और न्यायिक विनिर्णय के अनुरूप नहीं थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 43.79 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए धारा 14ए के तहत कम अस्वीकृति के कारण ₹ 131.80 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (अक्टूबर 2015) और कहा कि धारा 14अ के प्रावधानों के अनुसार, आय के संबंध में व्यय अस्वीकृत नहीं किये जा रहे थे जो कि अधिनियम के तहत कुल आय के भाग से नहीं था। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था जैसा कि यह

72 मैसर्स टेक्नोपक एडवाजस प्र. लि.18 टेक्समन कॉम 146 (दिल्ली आईटीएटी)

73 सीबीडीटी सर्कुलर सं. 5/2014 दिनांक 11/02/2014

विधायी प्रयोजन का स्पष्ट करते हुए मई 2014 के अपने स्वयं के परिपत्र का खण्डन करता है, जो अदालतों के द्वारा खारिज नहीं किया गया है। इसका अनुपालन किया जाना विभाग के लिए बाध्यकारी था।

आयकर अधिनियम की धारा 41(1) प्रदान करती है कि इन कारोबार देनदारियों के संबंध में क्रमशः कुछ लाभ प्राप्त किये गये और कारोबार देनदारियां और व्यय, जहां हानि के संबंध में बनाये गये भत्ते छूट एवं उसकी समाप्ति के माध्यम से उस पूर्व वर्ष के संव्यवहार एवं व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति के लिए माना जाना चाहिए इसके अतिरिक्त, यह नयायिक अधीन⁷⁴ किया गया था धारा 41(1) के तहत अभिव्यक्त व्यय काफी व्यापक है और जिसमें केवल राजस्व ही नहीं अपितु पूंजी में, व्यय भी सम्मिलित है।

3.4.3.2 महाराष्ट्र प्र.सीआईटी मुम्बई प्रभार में, नि.अ. ने नि.व. 2011-12 के लिए **मै. स्टेनलैस इंडिया प्राइवेट लि.** के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया था और ₹ 2.70 करोड़ की आय का निर्धारण किया। खातों पर टिप्पणियों⁷⁵ के अनुसार, निर्धारिती ने अक्टूबर 2008 में इसके संचालन को निलंबित किया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने मै. मुकुन्द लि. से ₹ 53.50 करोड़ के व्यापार अग्रिमों को प्राप्त किया जो कि एक समूह कंपनी थी और निर्धारिती के 44.09 प्रतिशत शेयरों को संघटित किया गया। मुकुन्द लि. ने अपने बहि-खाते में ₹ 53.50 के व्यापार अग्रिमों को बड़े खाते में डाल दिया था। इन्होंने अपने डेबिट के दावों को जारी रखा था और उसी रूप में निर्धारिती द्वारा वापस नहीं लिखा गया था। मै. मुकुन्द लि. के वि.व. 2011-12 के अभिलेखों के प्रति सत्यापन से पता चलता है कि ये बड़े खाते वास्तव में खातों में किये गये और नि.व. 2010-11 के दौरान आंशिक रूप से इनका दावा किया गया था और पूर्व वर्षों में बनाये गए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में आंशिक रूप से समायोजित किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि ऋणदाता ने अशोध्य ऋणों के माध्यम से कटौती का दावा किया था और अपने खातों से इसको बड़े खाते में डाल दिया था। ऋणदाताओं से छूट या देनदारियों भी राशि के द्वारा अशोध्य ऋणों को बड़े खाते में डालना गलत था और उसके द्वारा अधिनियम की धारा 41(1) के प्रावधानों को आकृष्ट किया था त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 17.77 करोड़ के द्वारा संभावित कर के अल्प उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 53.50 करोड़ से आय का अल्प निर्धारण हुआ था।

आयकर विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया था (जून 2016) और कहा था कि इस मामले में धारा 41(1) के प्रावधान नहीं लिये गये थे। क्योंकि

74 मै. नेक्टर बेवरेजेस प्र. लि. बनाम सीआईटी 2004 (139 टेक्समैन 70 बोम्बे हाई कोर्ट

75 टिप्पणी 8ब अनुसूचि 18, खातों की टिप्पणियां

प्रश्न की गयी राशि किसी भी पिछले वर्ष के कारोबार दायित्व के रूप में स्वीकार नहीं की गयी थी। इसके आगे, में. मुकुन्द लि. निर्धारिती का एक ऋणदाता नहीं था। और निर्धारिती को केवल अग्रिम दिया गया था। तर्क के समर्थन में, आयकर विभाग ने कुछ मामले उद्धृत किये जो विधि प्रासंगिक नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने इसे नियत कार्य के विरुद्ध अग्रिम/आपूर्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसको न्यायिक रूप से बताया गया⁷⁶कि कारोबार जमा प्राप्ति के समय पूंजीगत प्रकृति के थे और समय के प्रवाह के साथ कारोबार प्राप्तियों के लिए उनका स्वभाव परिवर्तित हो गया था। आगे, जहां कंपनियों संबंधित हो और उनमें से एक कंपनी ने आय से अशोध्य ऋण की कटौती के दावे किये हो परन्तु दूसरी कंपनी से इस प्रकार की आय का प्रस्ताव नहीं मिला था ऐसे मामलों में राजस्व ब्याजों को बचाने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान अस्तित्व में नहीं था। आयकर विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 147 के तहत (मार्च 2016) सुधारात्मक कार्रवाही प्रारम्भ की गयी थी।

3.4.3.3 पीसीआईटी-नोएडा प्रभार में, नि.अ. ने अक्टूबर 2011 में नि.व. 2007-08 के लिए में. एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि. के निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया था और ₹ 583.91 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। मामले को अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत ₹ 597.80 करोड़ की संशोधित आय पर पुनः निर्धारित किया था। निर्धारिती को महाराष्ट्र सरकार से ₹ 20.58 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार से ₹ 61.01 करोड़ की सब्सिडी (कर प्रोत्साहनों) प्राप्त हुई थी। कर योग्य आय की संगणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सब्सिडी को अस्वीकृत किया और वापस जोड़ कर इनको राजस्व प्राप्तियों के रूप में लिया गया था। यद्यपि, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी की अनुमति नहीं दी गयी थी और कर योग्य आय को वापस जोड़ा गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 10.74 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 20.58 करोड़ के द्वारा आय का अल्प निर्धारण किया गया था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के तहत (फरवरी 2016) सुधारात्मक कार्रवाही प्रारम्भ की गयी थी।

76 टी वी सुन्दरम आयंगर एण्ड सन्स लि. के मामले में

धारा 143(3) प्रावधान करती है कि निर्धारण अधिकारी को इस तरह के कर निर्धारण के आधार पर पुनः प्रतिदेय के लिए और उसके द्वारा देय सही राशि का निर्धारण और निर्धारिती की आय का सही कर निर्धारण और निरूपण करना होगा। विभिन्न प्रकार के दावों के साथ-साथ खातों, अभिलेखों और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा में कर निर्धारणों के विवरणों की जांच करना आवश्यक है।

3.4.3.4 ओडिशा सीआईटी-सम्भलपुर, प्रभार में, लेखापरीक्षा अधिकारी ने जनवरी 2014 में नि. व. 2011-12 के लिए में. महानदी कोल फील्ड लि. के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित ₹ 110.67 करोड़ के सभी प्रावधान को अस्वीकृति करने के बाद ₹ 5,772.71 करोड़ पर आय का निर्धारण किया गया। नि.अ. द्वारा ₹ 110.67 करोड़ के प्रावधान को अस्वीकृत किया गया और भूमि के सुधार के संबंध में ₹ 23.85 करोड़ के ऋणात्मक आंकड़ों को सम्मिलित किया गया, जो कर के लिए नहीं लाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.61 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 23.85 करोड़ के द्वारा आय का अल्प निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत (अप्रैल 2015) सुधारात्मक उपायों को पूरा किया था।

3.4.3.5 पश्चिम बंगाल, प्र. सीआईटी-4 कोलकाता प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए में. सुबीर सिरकार ज्वैलर्स प्राइवेट लि. के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया था और ₹ 5.42 लाख की हानि का निर्धारण किया। लाभ-हानि खातों के अनुसार, नि.व 2012-13 के लिए प्रारंभिक स्टॉक को ₹ 21.22 करोड़ पर प्रदर्शित किया गया था जबकि अंतिम स्टॉक नि.व. 2011-12 के लिए केवल ₹ 74.31 लाख पर प्रदर्शित किया गया था। यद्यपि, प्रारंभिक स्टॉक नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 20.48 करोड़ से अतिदर्शित था जो कि कर निर्धारण में स्वीकृत किया गया था। प्रारंभिक स्टॉक के अधिक डेबिट की अनुमति देने में त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.01 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 20.28 करोड़ की आय का कम अवनिर्धारण हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और दिसम्बर 2015 में धारा 144 और 143(3) के साथ पठित धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गयी।

धारा 28 में प्रावधान है कि किसी भी व्यापार और संव्यवसाय के लाभ और मुनाफा जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर निर्धारिती द्वारा किया गया व्यापार और संव्यवसाय के लाभ और मुनाफा शीर्ष के तहत आयकर के दायरे में होगा।

3.4.3.6 गुजरात में, प्र. सीआईटी-2 अहमदाबाद प्रभार में, नि.अ. ने दिसम्बर 2011 में नि.व. 2011 में नि.व. 2009-10 के लिए **मैं. गणेश हाऊसिंग कार्पोरेशन लि.** के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया, ₹ 34.17 करोड़ के एलटीसीजी को सम्मिलित करते हुए ₹ 63.55 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। निर्धारिती अचल संपत्ति विक्रय और ग्रामीण गतिविधियों में लगा हुआ था, एकीकृत कंपनी (नचिकेत प्रोपर्टीज प्रा. लि.) के द्वारा मूलरूप से वर्ष 2002-03 में क्रय की गयी भूमि का विकास किया था। फिर, निर्धारिती ने परिवर्तन कर का भुगतान करके भूमि को गैर-कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया था। इससे यह पता चलता है कि भूमि को निवेश के रूप में उपार्जित और क्रय नहीं किया गया था परन्तु कंपनी के व्यवसाय के अनुसार लाभ अर्जन और पुनर्विक्रय के लिए किया गया था। यद्यपि, उपार्जित भूमि निर्धारिती का बिक्री-माल था और अर्जित लाभ पूंजीगत लाभ के बजाय व्यापार आय थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.29 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और नवम्बर 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक उपाय किये गये।*

3.4.4 गलत संगणना/पूंजीगत मुनाफे का वर्गीकरण

हमने नीचे इस प्रकारके मामलों के दो उदाहरण दिये हैं:

धारा 143(3) प्रावधान करता है कि निर्धारण अधिकारी को इस प्रकार के कर निर्धारण के आधार पर पुनः प्रतिदेय के लिए और उसके द्वारा देय सही राशि का निर्धारण और निर्धारिती की आय का सही कर निर्धारण और निरूपण करना होगा। विभिन्न प्रकार के दावों के साथ-साथ खातों अभिलेखों और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा में कर निर्धारणों के विवरणों की जांच करना आवश्यक है।

3.4.4.1 कर्नाटक सीआईटी-1 बेंगलूर प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 के लिए **मैं. हिन्दुजा रियाल्टार प्रा. लि.** कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया, उस पर ₹ 83.38 लाख के कर और ₹ 1.91 करोड़ की आय का निर्धारण किया था। निर्धारिती द्वारा अपनी संगणना के विवरण में इक्विटी शेयरों की विक्रय से ₹ 7.08 करोड़ के दीर्घावधि पूंजी मुनाफे को बताया गया था। कर निर्धारण को पूरा करते समय, नि.अ. ने दीर्घावधि पूंजी मुनाफे पर विचार नहीं किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.18 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 7.08 करोड़ की आय का अल्प निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और जून 2014 में धारा 154 के तहत त्रुटि को परिशोधित किया।*

अधिनियम की धारा 45 प्रावधान करता है कि पिछले वर्ष में प्रभावित पूंजीगत अस्तियां के हस्तांतरण से प्राप्त किसी भी लाभों और मुनाफों को पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य होगी और पिछले वर्ष की आय के रूप में मानी जायेगी जिसमें अंतरण वही रखी गयी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय पूंजीगत अस्तियों के हस्तांतरण के परिणाम में जमा की गयी और प्राप्त किये गये प्रतिफल के पूरे मूल्य से कटौती के द्वारा संगणना की जायेगी निम्नलिखित मूल्यराशि अर्थात्: (i) इस प्रकार के हस्तांतरण के संबंध में पूरी तरह से और सम्पूर्ण वहन किया गया व्यय (ii) परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण की लागत और इसके अतिरिक्त किसी भी वृद्धि की लागत।

3.4.4.2 पश्चिम बंगाल, प्र. सीआईटी कोलकाता प्रभार में, नि.अ. ने दिसम्बर 2010 में नि.व. 2007-08 के लिए **मैं. बाटा इंडिया लि.** के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया और ₹ 66.49 करोड़ से अल्पावधि लाभ और व्यवसायिक आय को 'शून्य' के रूप में निर्धारित किया गया। कर निर्धारण फरवरी 2012 में धारा 251 के साथ पठित धारा 154 के तहत संशोधित कर ₹ 28.26 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ और व्यवसायिक आय का 'शून्य' के रूप में निर्धारित किया गया। कर निर्धारण को मार्च 2014 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के तहत दोबारा संशोधित कर ₹ 47.77 करोड़ के अल्पावधि पूंजीगत लाभ को निर्धारित किया गया। कर निर्धारण को आगे धारा 154 के तहत (जुलाई 2014) में परिशोधित कर ₹ 47.77 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ को निर्धारित किया गया। पूंजीगत लाभ एकीकृत आधुनिक उपनगर के लिए 262 एकड़ की भूमि का विकास करने के लिए इसके संयुक्त उपक्रम अर्थात् रीवर बैंक होल्डिंग प्राइवेट लि. (आरएचपीएल) के कर निर्धारिती को द्वारा अधिकारियों के हस्तांतरण के कारण विभिन्न कर निर्धारण आदेशों में (अल्पावधि पूंजीगत लाभ या दीर्घावधि पूंजीगत लाभ दोनों में से एक) निर्धारित किया गया था। निर्धारिती ने ₹ 77.53 करोड़ पर भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के पूरे मूल्य को लिया था, जिसे पुनः ₹ 97.02 करोड़ को संशोधित (मार्च 2014) किया गया था। प्रतिफल मूल्य में अन्य बातों के साथ-साथ अनुमोदित मूल्यांकक के द्वारा निर्धारित मूल्य पर दो वर्षों के लिए 8 प्रतिशत की दर पर छूट का दावा करने के बाद कर्मचारियों के लिए हाऊसिंग प्रोजेक्ट की ₹ 55.94 करोड़ के विनिर्माण की लागत को सम्मिलित किया गया था। भूमि स्वामित्वों को मार्च 2006 में बने एक विकसित समझौते के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था। अनुमोदित मूल्यांकक भूमि स्वामित्वों को हस्तांतरण के संबंध में प्राप्त प्रतिफल को निर्धारित करते समय हाऊसिंग प्रोजेक्ट की विनिर्माण लागत के साथ-साथ सितम्बर 2007 में ₹ 65.28 करोड़ पर भूमि का मूल्यांकन किया गया था।

स्वामित्व का हस्तांतरण (मई 2006) और विनिर्माण के मूल्य के निर्धारण के बीच की अवधि केवल एक वर्ष थी, निर्धारिती द्वारा दावा किये हुए दो वर्षों के स्थान पर एक वर्ष के लिए आठ प्रतिशत की छूट स्वीकार्य थी। इस प्रकार, निर्धारिती के लिए अनुमति प्राप्त ₹ 55.94 करोड़ के स्थान पर ₹ 60.44 करोड़ पर विनिर्माण की लागत को निर्धारित किया जाना आवश्यक था। त्रुटि के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ के मैट क्रेडिट के अतिरिक्त भत्ते सहित ₹ 4.50 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के तहत मार्च 2016 में सुधारात्मक कार्रवाई की गयी।

3.4.5 आर्म्स लेन्थ प्राइस का गलत आकलन

हमने नीचे इन उदाहरणों के तीन मामले दिये हैं:

यदि आयकर अधिनियम की धारा 92वीं के तहत परिभाषित अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य 15 करोड़ रुपये से अधिक होता है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92सी के तहत आर्म्स लेन्थ प्राइस की संगणना को हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को भेजा जाना चाहिए। टीओपी द्वारा निर्धारिती को सुनने के बाद, किसी भी विशेष बिन्दु पर आवश्यकता अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद, और उसके द्वारा एकत्र किये गये संबंधित सभी सामग्रियों को साथ में लेने के बाद, लिखित आदेश के द्वारा धारा 92सी (3) के प्रावधानों के अनुपालन में अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में एएलपी का निर्धारण किया जायेगा और उसके आदेश की एक प्रति का कर निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को प्रेषित की जायेगी।

3.4.5.1 कर्नाटक प्र.सीआईट-6 बेंगलोर प्रभार में, जनवरी 2015 में धारा 92सीए के तहत नि.व.2011-12 के लिए **मै. एस्केएफ टैक्नोलजी इंडिया प्रा. लि.** के हस्तांतरित मूल्य निर्धारण समायोजन किया ₹ 13.74 करोड़ पर कुल हस्तांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन को निर्धारित किया गया। टीओपी द्वारा निर्धारिती के द्वारा संगणित ₹ 107.13 करोड़ के विरुद्ध ₹ 131 करोड़ पर परिचालन लागत (ओसी) की पुनः संगणना की गयी थी। एएलपी की संगणना करते समय, टीओपी ने ₹ 131 करोड़ के संबंध ₹ 107.13 करोड़ के रूप में ओसी को गलत रूप से अपनाया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 7.93 करोड़ के कर प्रभाव सहित धारा 92 सीए के तहत ₹ 23.87 करोड़ से अल्प समायोजन हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 92 सीए के साथ पठित धारा 154 के तहत (मार्च 2016) भूल को परिशोधित किया गया।

3.4.5.2 कर्नाटक प्र. सीआईटी-3 बेंगलोर प्रभार में, धारा 92 सीए के तहत नि.व. 2011-12 के लिए जनवरी 2015 में **मै. गुगल इंडिया प्रा. लि.** के

हस्तांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन पूरा किया गया था। एएलपी की संगणना करते समय, टीओपी ने ₹ 325.49 करोड़ और ₹ 383.76 करोड़ के बजाए क्रमशः ₹ 205.31 करोड़ और ₹ 241.43 करोड़ पर मूल्य प्राप्त किया और परिचालन लागत को गलत रूप से अपनाया था परिणामस्वरूप ₹ 5.55 करोड़ के अल्प कर उदग्रहण सहित धारा 92 सीए के तहत ₹ 10.51 करोड़ के द्वारा अल्प समायोजन हुआ। आयकर विभाग ने बताया कि टीपीओ ने भूल को परिशोधित किया, जिसको फरवरी 2016 में धारा 144 सी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत कर निर्धारण को पूरा करते समय नि.अ. द्वारा ध्यान में रखा गया था।

3.4.5.3 आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाणा सीए(3) (आईटी एवं टीपी) हैदराबाद प्रभार में, जनवरी 2016 में धारा 92 सीए(3) के तहत नि.व. 2012-13 के लिए में. विविमेड लैब्स लि. के हस्तांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन को पूरा किया, निगमित प्रतिभूति और अग्रिमों के संबंध में ₹ 17.13 करोड़ पर कुल हस्तांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन को निर्धारित किया गया। एएलपी की संगणना करते समय, टीओपी ने ₹ 196.13 करोड़ के निगमित प्रतिभूति की सही मूल्यराशि के स्थान ₹ 522.95 करोड़ पर 2 प्रतिशत कि दर पर निगमित गारंटी फीस का गलत आकलन किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 6.54 करोड़⁷⁷ से अतिरिक्त समायोजन हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के साथ पठित धारा 92 सीए(5) के तहत त्रुटि का परिशोधन किया गया।

3.4.6 अस्पष्ट निवेश/नकदी क्रेडिट

हमने इस प्रकार के उदाहरणों के मामले नीचे दिये हैं:

धारा 68 प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती अधिकारी निर्धारिती के खातों में क्रेडिट किसी भी मूल्य राशि के स्रोत और प्रकृति के विषय को स्पष्ट नहीं करता है, तो क्रेडिट की गयी मूल्य राशि निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित की जायेगी।

3.4.6.1 प्र. सीआईटी-6 दिल्ली प्रभार में, नि.अ. ने धारा 144 (मार्च 2014) के तहत नि.व. 2011-12 के लिए में. नॉर्थ वेस्ट सेल्स एण्ड मार्किटिंग लि. के कर निर्धारण को पूरा किया 3स पर ₹ 2.87 लाख के कर और 8.71 करोड़ पर आय का निर्धारण किया। निर्धारण की संगणना करते समय, नि.अ. ने निर्धारिती से ₹ 32.48 करोड़ को उठाये गये असुरक्षित ऋण के विवरणों की मांग की भी जिसके विपरित ₹ 8.64 करोड़ के असुरक्षित ऋण की सूची आवश्यक विवरणों अर्थात् पैन, पता और दलों के अन्य ब्यौरों के बिना के

77 ₹ 6.54 करोड़= (₹10.46 करोड़- ₹ 3.92 करोड़)

प्रस्तुत किये गये थे। आवश्यक विवरणों के आभाव में नि.अ. ने ₹ 8.64 करोड़ के असुरक्षित ऋण की मूल्य राशि को निर्धारित की अस्पष्ट आय के रूप में लिया था। क्योंकि ₹ 32.48 करोड़ के असुरक्षित ऋण के विवरणों को उपलब्ध नहीं कराया गया था सम्पूर्ण मूल्यराशि को अस्पष्ट आय के रूप में लिया जाना आवश्यक था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.72 करोड़ के अल्प कर उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 23.83 करोड़⁷⁸ से आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और धारा 154 के तहत परिशोधन किया था (दिसम्बर 2015)।*

3.5 ब्याज/कर का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने इंगित किया था कि नि.अ. ने आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, ओडिसा, तमिलनाडु, के. शा. चंडीगढ़, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में ₹ 176.73 करोड़ के ब्याज और कर के अधिक प्रभार को सम्मिलित करते हुए 23 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया था।

धारा 234(बी) प्रावधान करती है कि अग्रिम कर के भुगतान के चूक के कारण उदग्रहित ब्याज निर्दिष्ट अवधि के लिये निर्दिष्ट दर पर देय हैं।

3.5.1.1 सीआईटी-एलटीयू दिल्ली प्रभार में, नि.अ. ने उस पर ₹ 931.62 करोड़ के कर और 2,871.64 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए **में. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लि.** के कर निर्धारण की संवीक्षा की थी। कर मांग की संगणना करते समय, नि.अ. ने अधिनियम 234 ब के तहत ₹ 42.29 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया इस लक्ष्य के बावजूद कि निर्धारित द्वारा जमा किया गया ₹ 957 करोड़ के अग्रिम कर की मूल्यराशि निर्धारित कर से अधिक थी (₹ 931.62 करोड़)। त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 42.29 करोड़ के ब्याज का अधिक उदग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया (जुलाई 2015)।*

धारा 143(3) प्रावधान करती है कि नि.अ. को आय का निर्धारण और निरूपण सही ढंग से करना है, रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों और अभिलेखों, खातों के साथ-साथ सभी प्रकार के दावों की कर निर्धारण संवीक्षा में विस्तृत रूप में जांच करने की आवश्यकता है।

3.5.1.2 सीआईटी (केन्द्रीय) दिल्ली प्रभार में, मार्च 2013 में नि.व. 2011-12 के लिए **में. पिक्सियन मीडिया प्रा. लि.** के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया गया उस पर ₹ 263.09 करोड़ के कर और ₹ 792.04 करोड़ की आय का

78 ₹ 23.83 करोड़ = (₹ 32.48 करोड़ - ₹ 8.65 करोड़)

निर्धारण किया था। कर योग्य आय की संगणना करते समय, नि.अ. ने ₹ 48.53 करोड़ की हानि की सही मूल्यराशि के स्थान पर शून्य पर स्वीकार किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 22.73 करोड़ से संभावित कर की अधिकता सहित ₹ 48.53 करोड़ से आय का अधिक निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया था (फरवरी 2016)*

3.5.1.3 सीआईटी-7 दिल्ली प्रभार में, मार्च 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **में. रेलिगेयर सिक्योरिटीज लि.** के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया, धारा 234ब के तहत ब्याज सहित ₹ 16.96 करोड़ के कर मांग बढ़ोत्तरी और ₹ 39.37 करोड़ पर आय का निर्धारण किया गया। कर मांग की गणना करते समय नि.अ. ने ₹ 13.08 करोड़ के निवल कर पर धारा 234ब के तहत ₹ 3.88 करोड़ के ब्याज का गलत उद्ग्रहण किया। निर्धारिती ने ₹ 7 करोड़ के अग्रिम कर और ₹ 11.64 करोड़ के टीडीएस का भुगतान किया, जो कि निर्धारित कर का 90 प्रतिशत से भी अधिक था, धारा 234ब के तहत ब्याज उद्ग्रहणीय नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 3.88 करोड़ के ब्याज को अतिरेक उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2016) धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया (अगस्त 2016)।*

धारा 143 (3) प्रावधान करती है कि नि.अ. को निर्धारिती को आय और हानि का सही कर निर्धारण और निरूपण करना है। विभिन्न प्रकार के दावों के साथ-साथ संलग्न सभी दस्तावेजों, अभिलेखों, खातों के साथ संवीक्षा निर्धारणों में विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 139(5) प्रावधान करता है कि यदि एक व्यक्ति धारा 139(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत कर रहा है, उसमें कोई भी त्रुटि और कोई भी गलत विवरण का पता लगता है, वह निर्धारण पूरा होने से पहले या संबंधित कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से एक वर्ष के अवसान के पहले, जो भी पहले हो किसी भी समय पर, संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

3.5.1.4 दिल्ली सीआईटी-3 प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **में. दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन** के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा कर ₹ 2,419.80 करोड़ की हानि को निर्धारित किया। निर्धारिती 27 सितम्बर 2011 को प्रस्तुत आय की मूल रिटर्न के अनुसार ₹ 2,422.69 करोड़ की हानि की तुलना में ₹ 2,618.40 करोड़ की हानि पर 28 सितम्बर 2012 को आय की संशोधित रिटर्न प्रस्तुत की थी। निर्धारण हानि की संगणना करते समय, नि.अ. ने हानि की संशोधित विवरण पर विचार नहीं किया यद्यपि निर्धारिती द्वारा अनुबन्धित समय पर मूल और संशोधित दोनों रिटर्न प्रस्तुत किये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 195.71 करोड़ से हानि को कम कर निर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत (मार्च 2016) त्रुटिका परिशोधन किया था।

3.5.1.5 दिल्ली सीआईटी (केन्द्रीय)-1 प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2013 में अधिनियम की धारा 144 के तहत नि. व. 2011-12 के लिए **मै.पल स्टूडियो लि.** के कर निर्धारण को पूरा किया, उस पर ₹ 47.87 करोड़ के कर और ₹ 144.12 करोड़ पर आय का निर्धारण किया गया। कर योग्य आय की संगणना करते समय, नि.अ. ने ₹ 46.53 करोड़ की वापस की हुई हानि की सही राशि के विपरीत वापस की गयी आय को 'शून्य' माना था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 21.79 करोड़ से कर का अधिक मूल्य सहित ₹ 46.53 करोड़ से आय का कम निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत (फरवरी 2016) त्रुटि का परिशोधन किया था।*